शिक्षा के
विकेंद्रीकृत प्रबंधन पर
केंद्र समिति

रिपोर्ट

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

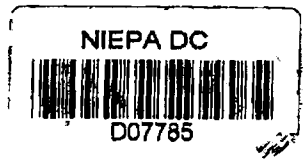

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7785
Date 14-10-93

विषय-सूची

आभार

सदस्य एवम् स्थायी आमन्त्रित व्यक्ति II

अध्याय I पृष्ठभूमि III

अध्याय II शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन पर केंद्र समिति : संविधान एवम् चर्चाएं। 7

अध्याय III निर्देशक सिद्धान्त 21

अध्याय IV सिफारिशें 26

परिशिष्ट

I केंद्र समिति के गठन के लिए भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के आदेश की प्रति 51

II. केंद्र समिति के सदस्यों को परिचालित किये गये दस्तावेजों 35 की सूची 58

III. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (संशोधित 1992) भाग-X शिक्षा का प्रबन्ध। 61

IV. कार्यवाही योजना (1992) शिक्षा के प्रबन्ध पर अध्याय का सार। 64

V. संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की प्रति 77

VI. संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की प्रति 86

आभार

शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध पर गठित केंद्र समिति कर्नाटक सरकार के प्रति दिल्ली तथा बंगलौर दोनों ही स्थानों में बैठकों के आयोजन के लिए उसके द्वारा प्रदान की गई शानदार औपचारिक सुविधाओं के लिए अत्यन्त कृतज्ञ हैं । श्री के. पी. सिंह, निवासी आयुक्त तथा श्री डी. एन. नायक, निवासी उपायुक्त, कर्नाटक सरकार, नई दिल्ली धन्यवाद के विशेष रूप से पात्र हैं ।

2. समिति श्री पी. के. उमाशंकर के अमूल्य योगदान की विशेष रूप से सराहना करती है । उनके प्रयासों के अभाव में इतने कम समय में इस रिपोर्ट को तैयार करना सम्भव नहीं था ।

3. समिति के लिए दस्तावेज तैयार करने के काम में श्री बलदेव महाजन, संयुक्त सचिव, नीपा तथा डा० एस०सी० नूना, फैलो, नीपा का योगदान समिति द्वारा प्रशंसनीय है ।

4. इसके अतिरिक्त समिति सदस्य-सचिव डा० आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा किये गये विशिष्ट कार्य के लिए भी अपनी कृतज्ञतापूर्ण प्रशंसा व्यक्त करना चाहती है ।

5. समिति की बैठकों के लिए सचिवालयी सहायता तथा प्रशासनिक सहयोग एक समर्पित टीम द्वारा त्रुटि-हीन ढंग से उपलब्ध कराया गया जिसमें सर्वश्री टी०सी० जेम्स, बी०के० राय, कृष्ण कुमार, कु० बसोबी सिरकार, श्रीमती अंजना सलूजा, सर्वश्री एस. आर. गुप्ता, एस. के. जैन, हाकिम सिंह, जय प्रकाश, श्रीमती सरला आर्य, सर्वश्री पी. के. थरेजा, ए. के. खुराना, ई. कृष्णा कुमारन, पदम सिंह, एस. के. डगर, जे. एस. असलाल, सतबीर सिंह, वी. नागार्जुन, एस. राघवेन्द्रन, चिरंजीलाल, गोरख नाथ यादव, एस. एस. बुटोला और शिव दयाल शामिल थे । समिति इन सभी के प्रति आभार प्रकट करती है ।

शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध पर गठित केब समिति

सदस्य एवं अस्थायी आमन्त्रित व्यक्ति

सदस्य

1. श्री एम. वीरप्पा मोइली — अध्यक्ष
   मुख्यमंत्री,
   कर्नाटक ।

2. डा0(श्रीमती) चित्रा नायक,
   सदस्य (शिक्षा),
   योजना आयोग,
   नई दिल्ली ।

3. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर,
   शिक्षा मंत्री,
   केरल ।

4. प्रो. के. पन्नुसामी, *
   शिक्षा मंत्री,
   तमिलनाडु

5. श्री एस. एस. चक्रवर्ती,
   शिक्षा मंत्री,
   पश्चिम बंगाल ।

6. श्री प्रफुल्ल चन्द्र बोईई **
   शिक्षा मंत्री,
   उड़ीसा ।

7. श्री जी. सी. राजबंशी, ***
   शिक्षा मंत्री,
   असम ।

8. श्री नरहरि अमीन, ****
   शिक्षा मंत्री,
   गुजरात ।

9. डा. सुधीर राय, सांसद
   (सदस्य केब) ।

10. डा. सैयद हसन,
निदेशक, इंसान स्कूल/कॉलेज,
किशनगंज, पूर्णिया (बिहार),
(सदस्य केब) ।

11. प्रो० मृणाल मीरि,
दर्शन शास्त्र विभाग,
नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग
(सदस्य केब) ।

12. श्री पी. के. उमाशंकर,
पूर्व निदेशक, आई. आई. पी. ए.,
नई दिल्ली
(अध्यक्ष, शिक्षा प्रबन्ध पर कार्यदल)

13. श्री एस. आर. शंकरन,
पूर्व सचिव,
ग्राम विकास विभाग ।

14. श्री वी. बी. एल. माथुर,
सलाहकार, राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

15. श्री आर. डी. सोनकर,
सलाहकार, उत्तर प्रदेश सरकार,
(लखनऊ)

16. सचिव,
वित्त कार्य विभाग,
वित्त, न्याय एवम् कम्पनी कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

17. सचिव,
ग्राम विकास विभाग,
नई दिल्ली ।

18. सचिव,
शहरी विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

19. सचिव,
श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

20. डा. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर, सदस्य-सचिव
संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

21.

स्थायी आमन्त्रित व्यक्ति

1. डा. पी. वी. रंगा राव,
शिक्षा मंत्री,
आन्ध्र प्रदेश ।

2. सचिव,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

3. अपर सचिव,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

4. सलाहकार (शिक्षा),
योजना आयोग,
नई दिल्ली ।

5. निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्,
नई दिल्ली ।

6. संयुक्त निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान,
नई दिल्ली ।

7. डा० एस. सी. नूना,
फैलो,
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान,
नई दिल्ली ।

* डा. सी. अरंगानयगम के स्थान पर दिनांक 30 जुलाई, 1993 से प्रभावी ।

** श्री चैतन्य प्रसाद माझी के स्थान पर 17 अगस्त, 1993 से प्रभावी ।

*** डा. कर्षनदास सोनेरी के स्थान पर दिनांक 25 अप्रैल, 1993 से प्रभावी ।

**** डा. भूमि धर बर्मन के स्थान पर 30 जुलाई, 1993 से प्रभावी ।

अध्याय 1

पृष्ठभूमि

नीति निर्देशक सिद्धांत:

पंचायती राज व्यवस्था भारत के लिए नया नहीं है। देश के भिन्न भागों में पंचायतें सदियों से भिन्न-भिन्न रूपों में कार्य करती रही हैं। गांधी 20 वीं शताब्दी में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को पुनर्जीवित करना चाहते थे जिनका स्वयं का प्रजातांत्रिक आधार हो तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उनके पास पर्याप्त अधिकार हों कि ग्रामवासियों के लिए सही मायने में स्वराज हो। भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 का समावेशन, जिसमें यह कहा गया है कि "राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें ऐसी आवश्यक शक्तियां व अधिकार प्रदान करेगा जो स्व-शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में उन्हें समर्थ बनाएंगे, इस दिशा में एक कदम था। यह अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का अंग है।

समुदाय विकास कार्यक्रम

1.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के न्यूनतम स्तर पर जनता की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रगति की प्रक्रिया को तीव्र करने का प्रयास किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय ही सामाजिक -आर्थिक विकास कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण की अवधारणा तैयार की गई थी। यह परिकल्पना की गई थी कि ग्राम राज्य की वास्तविक सहायता से विकास संबंधी कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेंगे तथा इन्हें निष्पादित करेंगे। तदनुसार विकास से जुड़े प्रशासन के ढांचे को परिवर्तित करना आवश्यक समझा गया। 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रमों को शुरू किया जाना इस दिशा में पहला कदम था। ऐसा विचार किया गया कि विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है। विकास संबंधी एक ऐसे प्रशासन को तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई जो महत्वाकांक्षा तथा जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। इसके कारण विकास खंडों का सृजन हुआ।

1.3 समुदाय विकास कार्यक्रम को विकेंद्रीकृत आयोजना की प्रक्रिया में के पथप्रदर्शन करने वाले कदम के रूप में समझा गया । यह उम्मीद की गई कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर कृषि के क्षेत्र में कायाकल्प होगा । तथापि, शीघ्र ही यह महसूस किया गया कि यह काफी हद तक लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि अधिकारी तंत्र का बहुत ही ज्यादा नियंत्रण है । कई तरीकों से यह महसूस किया गया कि यह कार्यक्रम जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है । परिणामस्वरूप यह कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेने में ग्रामीण जनता को गतिशील करने तथा उन्हें शामिल करने में असफल रहा जो उनके जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं ।

पंचायती राज संस्थाओं का उद्भव:

1.4 विकास की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए सृजित किए जाने वाले नए ढांचों के संबंध में सिफारिश करने के लिए स्थापित बलवंतराय मेहता समिति (1957) द्वारा विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने में विकेन्द्रीकरण के महत्व पर बल दिया गया था । समिति ने "गांव, ब्लाक तथा जिला स्तरों पर प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक-दूसरे से जुड़े तीन चरणीय संगठनात्मक ढांचा स्थापित" करने की सिफारिश की थी ।

1.5 पंचायती राज अधिनियमों को अधिकांश राज्यों में पचास के दशक में अधिनियमित किया गया । यद्यपि बलवंतराय मेहता समिति द्वारा सुझाई गई पद्धति को अधिकांश राज्यों में आम तौर पर अपनाया गया तथापि इसमें कुछ स्थानीय भिन्नताएं भी थी जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है- महाराष्ट्र और गुजरात में जिले के चरण को प्रमुखता प्रदान किया जाना । जहां मजबूत जिला परिषदें है जिन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रशासनिक अधिकार हैं । स्थानीय भिन्नताओं के बावजूद राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार को विकेन्द्रीत करने की आवश्कता पर आम सहमति थी । तदनन्तर विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए पंचायती राज निकायों को और अधिक दायित्व सौंपने हेतु कई राज्यों में पंचायती राज के कानूनों में संशोधन किया गया ।

1.6 तथापि विभिन्न कारणों से पंचायती राज के प्रति रूचि तथा तत्परता अधिक समय तक नहीं बनी रही । साठ के दशक के मध्य के पश्चात् क्षीण होने की यह प्रक्रिया त्वरमान होने लगी । समुदाय विकास कार्यक्रम के गहन चरण के बंद होने के पश्चात् खंड विकास के लिए धन का प्रवाह बहुत ही कम हो गया । कई राज्यों में पंचायती राज चुनावों को स्थगित करने की प्रवृत्ति भी उल्लेखनीय थी । कुछ राज्यों में जिला स्तर पर साथ-साथ समानांतर निकाय स्थापित होने लगे जिससे विकास,आयोजना तथा कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका कम हो गई ।

संवैधानिक प्रावधान:

1.7 संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 (इसके पश्चात् अधिनियम में परिकल्पना की गई है कि राज्य ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर मजबूत व्यवहार्य और उत्तरदायी पंचायतों की तीन चरणीय प्रणाली स्थापित करेंगे । इसी प्रकार संविधान (74वें संशोधन) के अधिनियम, 1992 में शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है । राज्यों से यह उम्मीद की गई कि वे इन निकायों को पर्याप्त अधिकार, दायित्व और धन प्रदान करेंगे ताकि ये निकाय आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सकें तथा इन्हें लागू कर सकें । अधिनियम में भिन्न-भिन्न स्तरों के पंचायती राज/नगरपालिका निकायों के अधिकारों और प्राधिकारों के विकेन्द्रीकरण के बुनियादी ढांचे का प्रावधान है । तथापि इसे व्यावहारिक आकार प्रदान करने का दायित्व राज्यों पर है । मजबूत और व्यवहार्य स्थानीय स्वशासन प्रणाली स्थापित करने के लिए इस अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्य करने की राज्यों से अपेक्षा है ।

1.8 भारत के संविधान का 73वां और 74वां संशोधन भारत में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में एक नया अध्याय है । इन संशोधनों के शब्दों में सबसे निचले स्तर पर कार्यकलापों के संबंध में निर्णय लेने का उत्तरदायित्व, जिससे जनता के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जनता के चुने गए सदस्यों

.../=

होगा । पंचायती राज/नगरपालिका निकायों का नियमित चुनाव अनिवार्य बना करके देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इन संस्थानों को उनका उचित स्थान प्रदान किया गया है । देश में इन निकायों को विकास प्रक्रिया का संगठित अंग बनाने का समय आ गया है ।

1.9 फिलहाल 16 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पंचायतों की तीन चरणीय प्रणाली (तमिलनाडु और असम में कुछ संशोधनों के साथ), 5 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में दो चरणीय प्रणाली तथा 8 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में एकल चरणीय प्रणाली विद्यमान है । अधिनियम के अनुच्छेद 243 (बी) (1) में परिकल्पना की गई है कि जिन राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है उन्हें छोड़कर शेष सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर पंचायतों की तीन-चरणीय प्रणाली गठित करनी होगी । यद्यपि जिला को राज्य के सामान्य जिले के रूप में परिभाषित किया गया है लेकिन अधिनियम में ग्राम और मध्यवर्ती स्तरों के क्षेत्राधिकार को खासतौर पर परिभाषित नहीं किया गया है । इसका आशय यह है कि किसी भी ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार उस राज्य के राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जा सकता है तथा इसमें एक से ज्यादा गांव शामिल किए जा सकते हैं । इसी तरह मध्यवर्ती स्तर भी इस संबंध में राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जा सकता है जो एक तालुक, ब्लाक या मंडल हो सकता है । इसके माध्यम से राज्यों को निचले और मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन में कुछ हद तक लचीलापन प्रदान किया गया है ।

सहभागिता वाला प्रबंधन

1.10 प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का बुनियादी कार्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास संबंधी आयोजना ज्यादा उत्तरदायित्व पूर्ण हो तथा इसे जनता की क्षेत्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बदला जा सके । विकासात्मक कार्यक्रमों की सफलता के लिए सभी लोगों द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य

---/-

अर्थात जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, यह इस आधार-शिला पर भी आधारित है कि लोगों को अपनी आवश्यकताओं की बेहतर जानकारी है। तथापि, स्थानीय प्रणाली राजनीतिक अधिकार का प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के एक कदम से और आगे निकल जाती है। यह विकासात्मक कार्यकलापों को दिशा-निर्देशित करने तथा इन्हें निष्पादित करने में उन विकास संबंधी लक्ष्यों का शामिल किया जाना भी सुनिश्चित करती है जो कार्यक्रम की सार्थकता में सुधार लाने के अपरिहार्य पहलू हैं। इसलिए राजनीतिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी द्वारा विकासात्मक कार्यक्रमों की योजना तैयार किया जाना तथा उनका कार्यान्वयन पंचायती राज निकायों का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

पंचायती राज के अंतर्गत शिक्षा:

1.11 शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यह महसूस किया जा रहा है कि सामान्य और शिक्षा प्रणाली से समाज अपने आपको अलग रख रहा है जिसके कारण ज्यादा नामांकन सुनिश्चित करने, स्कूल में बनाए रखने की दर को ऊपर उठाने तथा अध्ययन - अध्यापन की प्रक्रिया में सुधार लाने की दिशा में किए गए प्रयास पर्याप्त मात्रा में सफल नहीं हुए है।

1.12 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के गठन की प्रणाली को ज्यादा कारगर तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। भिन्न-भिन्न स्तरों अर्थात् ग्राम, ब्लाक/तालुक और जिला स्तरों के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की आयोजना, निष्पादन तथा उनके अनुवीक्षण की जिम्मेदारी पंचायती राज निकायों को अवश्य सौंपी जानी चाहिए। इस बात का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई योजना (1992) में समाज की ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित करके शिक्षा के सभी स्तरों पर आयोजना तथा प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण के महत्व पर बल दिया गया है।

1.13 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के कार्य हस्तांतरित करते समय इस पर परिपक्व चर्चा की जानी चाहिए तथा यह कदम सावधानीपूर्वक उठाया जाना चाहिए। संस्थाओं को तत्काल ही उनको पूरी-2 क्षमता हासिल नहीं हो सकेगी तथा वे बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी तथा जटिल कार्यों को तत्काल ही निष्पादित करना प्रारंभ नहीं कर देगी। पंचायती राज/नगरपालिका निकायों की सापेक्षिक कमजोरियों, उनके सीमित संसाधनों तथा उनके दायित्व के जटिल स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें सकारात्मक ढंग से मोचित करने, सहायता तथा प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है। शैक्षिक विकास के बहु-आयामी कार्यों को निपटाने में पंचायती राज/नगरपालिका निकायों तथा राज्य सरकारों के बीच सक्रिय साझेदारी काफी सार्थक साबित होगी।

अध्याय-।।

शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन पर केब समिति

संविधान और चर्चाएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा0शि0नी0)

2.1 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान का एक नीति निर्देशक सिद्धांत है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में 1950 से ही दृढ़ प्रयास किया जाता रहा है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) तथा कार्रवाई योजना में प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने पर अक्षम प्राथमिकता प्रदान की गई तथा अनेक नवाचारों को शुरू किया गया । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म स्तर पर योजना तैयार करने को एक कार्यनीति के रूप में विचार किया गया जिसमें "परिवार-वार तथा बाल-वार कार्रवाई योजना" पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसके द्वारा "प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से स्कूल या गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र में जाता है, जो स्थान उसके लिए उपयुक्त हो वहां अपनी शिक्षा जारी रखता/रखती है तथा कम से कम 8 वर्ष की शिक्षा या इसके समकक्ष कार्यकलाप, गैर-औपचारिक केंद्र पर पूरा करता/करती है ।"

2.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक विकास के भावी पथ का चार्ट व्यापक रूप से तैयार किया गया है । शिक्षा के प्रबंधन में केन्द्र और राज्यों की केन्द्रीय भूमिका को स्वीकार करते समय इसने जिला शिक्षा बोर्डों को स्थापित करने की वकालत की है । इसमें परिकल्पना की गई है कि :-

> "उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के प्रबंधन के लिए जिला शिक्षा बोर्ड सृजित किए जाएंगे । राज्य सरकारें सभी संभव चुस्ती के साथ इस पहलू पर ध्यान देंगी । शैक्षिक विकास के बहुस्तरीय ढांचे के भीतर केंद्र, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर की एजेंसियां आयोजना, समन्वय, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन में भाग लेंगी ।"

आ0. /=

ार्रवाई योजना (पी ओ ए)

.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के तैयार होने के बाद कार्रवाई योजना (पी ओ ए) ा तैयार किया जाना एक उल्लेखनीय प्रगति है । इसमें नीति के कार्यान्वयन के लिए ालन संबंधी विस्तृत कार्यनीतियां दी गई हैं । कार्रवाई योजना के 'शिक्षा का प्रबंधन' विषयवस्तु के अंतर्गत जिला शिक्षा बोर्ड सृजित किए जाने की वकालत की गई है जिनपर च्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूल गैर औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा सहित सभी शैक्षिक ार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का दायित्व होगा । कार्रवाई योजना में इस बात ी भी अवधारणा की गई है कि "बोर्डों पर योजना तैयार करने का भी दायित्व ौंपा जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-2 प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और उच्चतर ाध्यमिक स्कूलों के संबंध में इनका क्षेत्र विकास, स्थानिक आयोजना, संस्थानिक आयोजना, शासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण और कार्मिक प्रबंधन आदि शामिल है । कार्रवाई ोजना में जिला बोर्डों के लिए समुचित संवैधानिक प्राधिकार की भी परिकल्पना की ई । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माध्यमिक स्तर तक के शिक्षा के प्रबंधन ो पंचायती राज निकायों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया था, बाद में ह महसूस किया गया कि जिला शिक्षा बोर्डों की संकल्पना को विकेंद्रीकृत प्रशासनिक गठन के द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है जिसे पंचायती राज्य निकायों अंतर्गत सृजित किया जा सकता है ।

द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब)

.4 1986 से हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए केब ने 1992 में कार्रवाई योजना संशोधन किया । इसने संसद में प्रस्तुत किए गए पंचायती राज तथा नगरपालिका निकायों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयकों को ध्यान में रखा जिसमें जिला, प-जिला पंचायत तथा नगरपालिका स्तरों पर प्रजातांत्रिक ढंग से चुने गए निकायों ो स्थापित करने की परिकल्पना की गई है । इस बात को ध्यान में रखते हुए के संशोधन विधेयक विधान बनाने के लायक हैं, कार्रवाई योजना में टिप्पणी की गई कि राज्यों को एक ऐसा समुचित विधान तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें न्य बातों के साथ-2 शिक्षा से संबंधित पंचायती राज समितियों का प्रावधान हो । ार्रवाई योजना में टिप्पणी की गई कि जब राज्य पंचायती राज अधिनियमों के तर्गत अपना विधान तैयार करें उस समय उनके मार्गदर्शन के लिए मानव संसाधन वकास मंत्रालय द्वारा माडल संवैधानिक प्रावधान तैयार किया जाना आवश्यक ोगा ।

2.5 तभी से ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर नियमित रूप से प्रजातांत्रिक ढंग से चुने गए निकायों को गठित करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है । संविधान में इन निकायों के चुनाव की पद्धति तथा इनके कार्यकाल के बारे में प्रावधान है । इसमें राज्य विधान-मंडल के लिए यह भी प्रावधान है कि वह पंचायती राज/नगरपालिका निकायों के कार्यों का दस्तावेज सहित अन्य क्षेत्रों से संबंधित विधि तैयार करें जिसमें अन्य बातों के साथ-2 ग्रामीण क्षेत्र के मामले में "प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल तकनीकी प्रशिक्षण, तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ तथा गैर-औपचारिक शिक्षा सहित शिक्षा" और नगर पालिका के मामले में "सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सौंदर्यबोध परक पहलू" शामिल है ।

केब समिति

2.6 कार्रवाई योजना की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से मानव संसाधन विकास मंत्री ने 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एम. वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक केब समिति का गठन किया । इस समिति को भारत के संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अपने विचाराधीन विषयों के अंतर्गत जिला, उपजिला तथा ग्राम स्तरों पर शिक्षा के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना था ।

2.7 शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीपा में एक कोर ग्रुप का गठन किया जिसमें केब समिति को विचार-विमर्श के दौरान मदद करने के लिए प्रो0के0 उमाशंकर, श्री बलदेव महाजन और डा. एस. सी. नूना को शामिल किया गया । कोर ग्रुप ने अनेक दस्तावेज, पृष्ठभूमि कागजात तथा समिति के उपयोग के लिए अन्य सामग्री तैयार करके समिति को इसके विचार-विमर्श में मदद पहुंचाया ।

समिति की पहली बैठक

2.8 समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में 26 अप्रैल, 1993 को हुई । इसने अपने कार्यकरण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति तथा प्रक्रियाओं के बारे में विचार-विमर्श किया । समिति के सम्मुख निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत थे :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992 में संशोधित)
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई योजना (1992) का सार ।

.../=

3. 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा पंचायती राज पर प्रकाशित दस्तावेज:-

   क. पंचायती राज पर प्रमुख रिपोर्टों का सारांश ।

   ख. पंचायती राज अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं ।

   ग. संरचनात्मक पद्धतियां

5. कोर दल द्वारा तैयार दस्तावेज

   क. "पंचायती राज निकाय और विकास: एक परिप्रेक्ष्य

   ख. "आंध्र प्रदेश गुजरात, कर्नाटक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज निकायों का अनुभव"

   ग. "पंचायती राज निकायों के अंतर्गत शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन पर सिफारिशें तैयार करते समय केब द्वारा विचार किए जाने वाले मुद्दे"

2.9 कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते समय सहभागियों का स्वागत किया और शैक्षिक प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण के महत्व का उल्लेख किया । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा पद्धति में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए विकेन्द्रीकरण महत्वपूर्ण है और आर्थिक ढांचे को पुनः व्यवस्थित करने की पृष्ठभूमि में शिक्षा के प्रबंधन की संपूर्ण पद्धति के ढांचे को बदलने के महत्व को स्पष्ट किया । श्री मोईली ने सहभागितापूर्ण प्रजातंत्र पर विशेष बल दिया और कहा कि विकेन्द्रीकरण सामाजिक न्याय के साथ विकास के उद्देश्य वाली शिक्षा को सुनिश्चित करने का प्रभावी तरीका है ।

2.10 समिति ने अपने विचार विमर्श के दौरान यह नोट किया कि विकेन्द्रीकरण का अर्थ केवल शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं है इसका उद्देश्य कतिपय जिम्मेदारियों को सौंपना है । शैक्षिक प्रबंधन का *विषय* लोगों का आंदोलन होना चाहिए । पंचायती राज निकायों से सेवाओं का अभिसरण सुनिश्चित होगा तथा कार्यों और जिम्मेदारियों का विखंडन रूकेगा । समिति ने इस बात का भी उल्लेख किया कि

---/--

पंचायती राज की व्यवस्था में आधुनिक प्रशासकीय पद्धतियों और प्रयोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए । समिति ने इस बात का भी ध्यान दिलाया कि विकेन्द्रीकृत प्रबंधन ढाँचों को प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा संपूर्ण प्रौढ़ साक्षरता के राष्ट्रीय लक्ष्यों की उपलब्धि को सुकर बनाना चाहिए ।

2.11 एक और महत्वपूर्ण बात थी । यह महसूस किया गया कि शिक्षा के प्रबंधन को विकेन्द्रीकृत करने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए । पंचायती राज निकायों के पास स्थानांतरित होने वाले क्षेत्रों और विषयों के विस्तृत और गहन अध्ययन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया । हालांकि कार्रवाई योजना में दिशा-निर्देश दिए गए हैं तथापि राज्यों को इसके संबंध में ब्यौरे तैयार करने होंगे । कुछ विषयों के लिए तो विकेन्द्रीकरण हो सकता है, परंतु पाठ्यक्रम निर्धारित करने, पाठ्य पुस्तकें तैयार करने आदि जैसे कुछ अन्य विषयों की जिम्मेदारी राज्यों को लेनी होगी । यह भी उल्लेख किया गया कि पंचायती राज निकायों को कार्य के लिए स्वयं को तैयार करने में समय लग सकता है और विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया धीमी गति से और सावधानी से परंतु निश्चित रूप से चल सकती है । विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य निश्चित रूप से प्रभावी ढंग से प्रबंध करना होना चाहिए ।

2.12 प्रथम बैठक के अंत में समिति ने यह निर्णय लिया कि शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन पर राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के विचार और दृष्टिकोण प्राप्त किए जाने चाहिए और समिति की अगली बैठक में उपलब्ध कराए जाने चाहिए । समिति ने यह इच्छा जाहिर की कि भूमिका की टिप्पणियों को विस्तृत किया जाना चाहिए तथा विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के क्षेत्र में राज्यों तथा अन्य देशों के अनुभवों का विस्तार से उल्लेख किया जाना चाहिए । समिति ने कहा कि सभी दस्तावेजों के अध्ययन के पश्चात यह अपनी अगली बैठक में विचारार्थ मुद्दों को अंतिम रूप दे देगी ।

समिति की द्वितीय बैठक

2.13 समिति की दूसरी बैठक 10 जून, 1993 को बंगलौर में हुई। समिति के सामने निम्नलिखित दस्तावेज थे:

1. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, और महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थानों के ढांचे भूमिका और कार्यों पर विस्तृत रिपोर्ट
2. इंगलैंड, फ्रांस, स्कैन्डिनेवियन, पपुआ न्यू गुयाना और नाइजीरिया में विकेन्द्रीकरण के विभिन्न पहलुओं पर दस्तावेज
3. समिति के विचारार्थ संशोधित मुद्दों से संबंधित टिप्पणी
4. अध्यक्ष द्वारा किए गए पत्राचार के उत्तर में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई टिप्पणियां

2.14 विचार-विमर्श के दौरान यह देखा गया कि शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन से देश में शिक्षा के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है। शिक्षा का विकेन्द्रीकरण न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक है, बल्कि इसलिए भी आवश्यक है कि शैक्षिक पद्धति काफी विस्तृत हो चुकी है और लोगों की आकांक्षाओं को विकेन्द्रीकृत पद्धति के अंतर्गत ही पूरा किया जा सकता है। यह भी नोट किया गया कि लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति जैसी कार्य योजना पर महत्व दिया जाना चाहिए। नई पद्धति निश्चित रूप से मूल्य प्रभावी होनी चाहिए साथ ही जिला और उप जिला स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। व्यावसायिकों का मनोनयन पंचायती राज निकायों को व्यावसायिक रूप से उन्मुख करने तथा उनकी विश्वसनियता बनाने की ओर एक कदम होगा। शैक्षिक विकास की प्रक्रिया में लोगों की व्यापक सहभागिता के लिए एक साधन के रूप में विकेन्द्रीकरण एक अच्छा उपाय है। इन निकायों की विविध जिम्मेदारियां हैं और शिक्षा

—/—

के प्रबंधन के लिए उन्हें वित्तीय और प्रशासकीय सहायता की आवश्यकता होगी । शिक्षा में गलतियों के दूरगामी प्रभाव होते हैं । आयोजना की कमी और वित्तीय अभावों के कारण पिछले अनुभव निष्फल हो गए । पंचायती राज निकायों को उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने के पहले पर्याप्त सहायता देनी होगी और उन्हें सुदृढ़ करना होगा ।

2.15 समिति ने अगली बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के लिए निम्नलिखित मुद्दों का चयन किया :

(i) 73वें संवैधानिक संशोधन की 11वीं अनुसूची के संदर्भ में पंचायती राज को दिए जाने वाले शिक्षा के विषय तथा निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए पंचायती राज के तीन स्तरों के बीच उक्त विषयों का परस्पर वितरण:

(क) एक ओर एकरूपता तथा स्तर और दूसरी ओर सहभागी प्रबंधन तथा विकेन्द्रीकरण की आवश्यकताओं को संतुलित करना ।

(ख) संतोषजनक गुणवत्ता वाली बुनियादी शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

(ii) शिक्षा के प्रबंधन के लिए पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद स्तरों पर ढांचे तैयार करना, उनकी संरचना, अधिकार और कर्तव्य

(iii) जिन शैक्षिक संस्थानों का प्रबंधन स्थानीय निकायों या राज्य सरकारों द्वारा नहीं किया जाता है उनके लिए पंचायती राज निकायों को अधिकार प्रदान करना ।

(iv) शिक्षकों तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया तथा भर्ती, स्थानांतरण और सेवा शर्तों के संबंध में पंचायती राज निकाय को सौंपे गये अधिकारों की सीमा ।

(v) पंचायती राज निकायों को सौंपे जाने योग्य शैक्षिक संस्थानों के प्रशासकीय और शैक्षिक पर्यवेक्षण संबंधी अधिकार और कर्तव्य

(vi) स्कूलों को मंजूरी प्रदान करने, शिक्षक-छात्र अनुपात, शिक्षकों की नियुक्ति, शुल्क, सुविधाएं, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य-पुस्तकों सहायक पठन, परीक्षा, शैक्षिक कैलेंडर तथा पाठ्यचर्या, सहपाठ्यचर्या और पाठ्येतर कार्यकलापों आदि के संबंध में राज्य स्तर पर निर्धारित होने वाले विभिन्न नियमों और स्तरों के लिए पंचायती राज निकायों को प्रदान की जाने वाली सुनम्यता की सीमा ।

(vii) विभिन्न स्तरों पर शुरू किए गए कार्यकलापों के बीच समन्वय और संघटन के उपाय ताकि शैक्षिक प्रबंधन के प्रति पवित्र धारणा बन सके ।

(viii) पंचायती राज निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए तंत्र स्थापित करना ताकि वे अपने कार्यकलापों को पूरा कर सकें ।

(ix) पंचायती राज निकायों को अधिकार प्रदान करने के वित्तीय परिणाम ।

(x) पंचायती राज निकायों को शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक दायित्व और अधिकार सौंपने की कार्यनीति ।

(xi) शिक्षा की आयोजना और प्रबंधन में पंचायती राज के अधिकारियों का राजनीतिक और प्रशासकीय प्रशिक्षण ।

(xii) पंचायती राज निकायों द्वारा शिक्षा के प्रबंधन के संबंध में आदर्श (मॉडल) विधान के संघटक

(xiii) शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रबंधन के संबंध में ऐसे ही मुद्दे ।

---/--

समिति की तीसरी बैठक

2.16 समिति की तीसरी बैठक 17 जुलाई, 1993 को नई दिल्ली में हुई। अध्यक्ष ने रिपोर्ट को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि राज्य पंचायती राज अधिनियम के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक विधान तैयार कर रहे हैं। समिति ने यह नोट किया कि विकेन्द्रीकरण वर्ष 1956 से ही देश में किसी न किसी रूप में प्रभावी रहा है बल्कि शिक्षा के विकेन्द्रीकृत ढांचे जिला बोर्डों के रूप में इससे भी पहले मौजूद थे। यह भी देखा गया कि विकेन्द्रीकरण संपूर्ण देश में एक समान नहीं हो सकता है। यह भी महसूस किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा देखरेख एवं शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा जैसे क्षेत्रों के मौलिक अभिसरण के लिए पंचायती राज निकाय आवश्यक हैं। लोगों की शिक्षा के लिए संसाधन पैदा करने की आवश्यकता भी दुहराई गई। यह महसूस किया गया कि यदि लोगों को अधिकार दिए जाएं तो वे अपनी इच्छा से योगदान देंगे।

2.17 आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री डा. पी.वी. रंगाराव ने समिति को संक्षिप्त रूप में शिक्षा के प्रबंधन पर राज्य स्तरीय सेमिनार के विचारों से अवगत कराया। सेमिनार की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं:

1. सेमिनार की यि रिपोर्ट में उल्लिखित कार्यों और जिम्मेदारियों के साथ ग्राम स्तर पर सांविधिक निकाय के रूप में वी.ई.सी. का गठन।

2. जिला स्तर पर एक स्वायत्त, सांविधिक निकाय के रूप में जिला शिक्षा बोर्ड का गठन। बोर्ड की संरचना विस्तृत होनी चाहिए ताकि वह उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों की शिक्षा की देख रेख कर सके। जिला शिक्षा अधिकारी इस बोर्ड के सदस्य संयोजक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

3. शैक्षिक और तकनीकी पर्यवेक्षण मुख्य रूप से शिक्षा विभाग का कार्य होगा और जिला तथा नीचे के स्तर पर इस विभाग के जिला अधिकारी होंगे ।

4. शिक्षकों के सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण शिक्षा में स्तरों की एकरूपता बनाए रखने, पाठ्यचर्या तैयार करने, पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करने और उनका वितरण करने, परीक्षाएं संचालित करने तथा प्रमाण-पत्र जारी करने आदि से संबंधित सभी मामलों की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा विभाग की होगी ।

समिति ने अध्यक्ष के पत्राचार के जवाब में विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा अन्य संस्थानों से प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया ।

2.18 समिति ने कहा कि भविष्य के लिए कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए राज्यों के विविध अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । यह भी महसूस किया गया कि समिति की सिफारिशें विवेकपूर्ण तथा व्यावहारिक होनी चाहिए । हालांकि बजटीय आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता पर सर्वसम्मति थी, परंतु संसाधन कैसे बढ़ाए जाएं यह एक गंभीर मुद्दा था । पी.आर. आई के लिए प्रशासकीय सहायता के अभाव का भी उल्लेख किया गया । हालांकि साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में पंचायतों को शामिल करना संभव हो सकता है तथापि औपचारिक शिक्षा के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी एक कठिन कार्य है । यह महसूस किया गया कि समिति की सिफारिशें विस्तृत और सुनम्य होनी चाहिए और आदेशात्मक होने के बजाए निर्देशात्मक होना चाहिए । राज्यों को अपनी स्थिति के माकूल माडल चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ।

2.19 समिति ने यह महसूस किया कि ग्राम शिक्षा समिति स्थापित करते समय पंचायतों के साथ अपने विवादों को भुला दिया जाना चाहिए । इन निकायों में शिक्षा के बारे में सुविज्ञ लोगों को शामिल किया जाना चाहिए । निम्न स्तर पर के निकायों के सदस्यों को उच्च स्तरीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । कुछ राज्यों का अनुभव यह कहता है कि विभिन्न स्तरों पर लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने तथा प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए । समिति ने यह भी महसूस किया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकेन्द्रीकरण के कारण शिक्षा

की गुणवत्ता घटिया नहीं हो । सभी प्रस्ताव व्यवहार्य होने चाहिए । हालांकि संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना होगा । संगठनात्मक सहायता के ढांचे इस प्रकार तैयार किए जाए कि उन पर जिम्मेदारी हो तथा वे सहयोग कर सकें ।

2.20 समिति ने इस बात का उल्लेख किया कि लोगों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु, शिक्षा के लिए विस्तृत सहभागितापूर्ण ढांचों की आवश्यकता है, जो सामान्य पंचायती राज के ढांचों से भिन्न हों । हालांकि कुछ सदस्यों का प्रतिनिधित्व पंचायती राज के ढांचों और शिक्षा से जुड़ें ढांचों दोनों में होगा तथापि शिक्षा से जुड़ें ढांचों में शिक्षा के क्षेत्र तथा अभिभावक शिक्षक संघों और लाभ वंचित वर्गों आदि जैसे अन्य गुपों के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा ।

2.21 बुनियादी तौर पर प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रारंभिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा संस्थान ग्राम शिक्षा समिति के क्षेत्र के अंतर्गत होने चाहिए । उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पंचायत समिति की स्थाई शिक्षा समिति तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जिला परिषद की स्थाई शिक्षा समिति की जिम्मेदारी होनी चाहिए । समिति बैठक में परिचालित विवरणों में दिए गए प्रस्तावों में कतिपय संशोधन करते हुए उनसे आम तौर पर सहमत हुई ।

समिति की चतुर्थ बैठक

2.22 सदस्यों के बीच पहले ही परिचालित की गई समिति की रिपोर्ट के प्रारूप पर विचार करने के लिए केब समिति की चतुर्थ बैठक 9 अगस्त, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी । रिपोर्ट के प्रारूप में प्रत्येक गांव में संवैधानिक अधिकार के साथ ग्राम शिक्षा समिति करने का प्रावधान था । इस मुद्दे पर विधि मंत्रालय की राय ली गई । मंत्रालय का यह विचार था कि पंचायत के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत शिक्षा से संबंधित केवल एक समिति गठित की जानी चाहिए । तथापि, यह स्पष्ट किया गया कि पंचायत प्रत्येक गांव में पंचायत की एक उप समिति के तौर पर एक ग्राम शिक्षा समिति गठित कर सकती है । कतिपय गांवों के समूह वाली पंचायत की एक उप समिति के तौर पर ग्राम शिक्षा समिति गठित करने के प्रस्ताव पर सहमत हो गई । तथापि जहां पंचायत में केवल एक गांव हो, शिक्षा पर पंचायत स्थाई समिति गठित की जा सकती है ।

2.23 गांव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह महसूस किया कि समिति में 'गांव के शिक्षाविद्' के बजाए शिक्षा में रुचि रखने वाले व्यक्ति को मनोनीत किया जाना चाहिए । समिति इस बात पर भी सहमत हुई कि विभिन्न स्तरों पर स्थाई समिति के सदस्यों की कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए । ग्राम शिक्षा समिति को समिति में विभिन्न संवर्गों के गैर-चयनित सदस्यों को नामित करने का भी अधिकार दिया जा सकता है । समिति ने यह महसूस किया कि राज्यों को विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में उपयुक्त अधीन विधान के माध्यम से अधिकारों का प्रत्यायोजन करना चाहिए । यह महसूस किया गया कि मध्यवर्ती स्तर पर पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को स्कूलों के और करीब लाया जाना चाहिए और इसके लिए ब्लॉक/तालुक स्तर पर शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षण कर्मचारियों को पंचायती राज निकायों में लगाया जाना चाहिए ।

2.24 यह राय व्यक्त की गई कि शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को पंचायती राज निकायों में स्थानान्तरित करने से समस्याएं उत्पन्न होंगी क्योंकि सामान्यतः कर्मचारी सरकारी सेवा में रहना चाहते हैं । तथापि समिति ने यह महसूस किया कि सरकारी सेवा में कार्यरत शिक्षक और पर्यवेक्षण कर्मचारी को पंचायती राज निकायों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है । नियुक्ति की स्थिति में जिला परिषद् को एक पैनल

.../=

दिया जा सकता है । कर्मचारियों को वेतन जिला परिषद् को सरकार तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों से दिया जाएगा ।

2.25 समिति ने यह सुझाव दिया कि पंचायती राज निकायों के निम्न स्तर पर स्थाई समितियों के सदस्यों को उच्च स्तरों की समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ।

2.26 नगरपालिका क्षेत्रों में शिक्षा के प्रबन्धन के संबंध में यह महसूस किया गया कि प्राथमिक स्कूलों को नगरपालिका निकायों के नियंत्रण में रखा जा सकता है जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल सरकार या स्थिति विशेष के अनुरूप नगरपालिका निकाय के नियंत्रण में रह सकते हैं ।

समिति की पांचवीं बैठक

2.27 समिति की पांचवीं बैठक रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए 20 अगस्त, 1993 को आयोजित की गई । समिति ने यह महसूस किया कि व्यक्तिगत प्रबंधन से संबंधित मुद्दे जटिल स्वरूप के हैं इसलिए सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है । यह महसूस किया गया कि वर्तमान परिस्थितियों ने शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पंचायती राज निकायों में स्थानांतरित करना कुछ राज्यों में व्यवहार्य नहीं हो सकता । तथापि उनकी सेवाओं को पंचायती राज निकायों को सौंपा जा सकता है । यह भी सुझाव दिया गया कि सभी कर्मचारियों के वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

2.28 शैक्षिक प्रबंधन के विकेंद्रीकरण की अंतर्निहित भावना का समर्थन करते हुए पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री श्री एस. एस. चक्रवर्ती ने कुछ मुद्दों को दोहराया । उन्होंने समिति का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि पश्चिम बंगाल में राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद्, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि जैसे प्रजातांत्रिक ढंग से चुने तथा प्रतिनिधि वाले निकायों द्वारा शिक्षा संस्थाएं चलाई जाती हैं । राज्य सरकार एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करने पर भी विचार कर रही थी जिससे कि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के प्रबंधन में

.../=

पंचायत अपनी यथोचित भूमिका निभा सके । ग्राम शिक्षा समिति के गठन से सहमति व्यक्त करते हुए श्री चक्रवर्ती ने इस बात का उल्लेख किया कि यह एक पृथक समिति नहीं हो सकती । उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा निदेशालय से कर्मचारियों को पंचायतों में स्थानांतरित करने के बजाए जहां आवश्यक हो, वहां उनकी सेवाएं पंचायती राज निकायों को सौंपी जा सकती हैं । उन्होंने इस बात को दोहराया कि पंचायतें शिक्षकों को भर्ती करने वाली प्राधिकरण नहीं होनी चाहिए बल्कि उन्हें सिर्फ पर्यवेक्षण का अधिकार मिलना चाहिए । भर्ती, स्थानांतरण तथा अनुशासनिक प्राधिकार शैक्षिक निकायों के पास ही रहने चाहिए जो पंचायतों की सिफारिशों पर यथोचित ध्यान देंगे । उन्होंने यह भी कहा कि पाठ्यचर्या निर्धारित करने, पाठ्यपुस्तकें तैयार करने, परीक्षाएं आयोजित करने तथा प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य शैक्षिक निकाय के पास ही होना चाहिए । उन्होंने विकेंद्रीकृत ढांचों के लिए समुचित वित्तीय आबंटन की आवश्यकता पर बल दिया ।

2.29 समिति ने शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर कारगर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो । विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन का अंतिम लक्ष्य पठन-पाठन के स्तर में सुधार लाना है । कार्मिक प्रबंधन के मुद्दों पर विचार करते समय समिति ने यह महसूस किया कि राज्य सरकारें संविधानिक संशोधनों की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक समिति की सिफारिशों में उपयुक्त ढंग से परिवर्तन कर सकती है । यह भी सुझाया गया कि पंचायती राज निकायों के अंतर्गत चलने वाले स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा उनके रखरखाव के लिए केन्द्र सरकार को एक उपयुक्त वित्तीय संस्था स्थापित करने पर विचार करना चाहिए ।

2.30 समिति ने समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया ।

अध्याय III

निर्देशक सिद्धांत

पंचायती राज निकायों की भूमिका

3.1 देश में शिक्षा विकास के नाजुक दौर में है। स्वतंत्रता के बाद असाधारण प्रगति होने के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा संपूर्ण साक्षरता के उद्देश्य अभी भी दुर्गाह्य लक्ष्य बने हुए हैं। बच्चों की अनियमित उपस्थिति तथा स्कूल बीच में छोड देने वाले बच्चों की बड़ी संख्या की समस्या चिन्ता का कारण है। दूसरी चिन्ता का कारण आबादी के लाभवंचित वर्गों जैसे बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की धीमी गति है। ये सारे मुद्दे शिक्षा के प्रबंधन के लिए एक गंभीर चुनौती है। समिति यह समझती है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण से लोगों की सक्रिय और व्यापक सहभागिता तथा उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। तथापि आगे के कार्यों के चुनौतीपुर्ण स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज/नगरपालिका निकायों को नई भूमिकाओं और कार्यों को पूरा करने के लिए आमंत्रित करने से पहले उन्हें पर्याप्त तैयारी करने की तथा उन्हें सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

प्रशासकीय सहायता

3.2 कुछ राज्यों में पंचायती राज/नगरपालिका निकाय अभी भी प्रशासन के कार्यों में अनुभवरहित हैं। उनके अधिकतर सदस्य अंशकालिक स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें विस्तृत जिम्मेदारियों का बोझ वहन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। समय समय पर प्रबोधन कार्यक्रमों के माध्यम से तथा विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक नेतृत्व और विभागीय अधिकारियों के साथ परस्पर संबंध रखते हुए अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पंचायती राज निकायों के चयनित सदस्यों के क्षमता निर्माण की स्पष्ट आवश्यकता है। शैक्षिक संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन की जिम्मेदारी के साथ उन्हें उपयुक्त विभागीय ढांचों के माध्यम से आवश्यक प्रशासकीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जानी

चाहिए । इन स्तरों पर वर्तमान विभागीय और प्रशासकीय ढांचों को पंचायती राज निकायों के जिम्मे सौंपना होगा । जहां भी आवश्यक हो उन्हें सुदृढ़ भी करना होगा

3.3 शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए व्यावसायिक सहायता की आवश्यकता होगी । इसलिए जिन पंचायती राज निकायों को विशिष्ट शैक्षिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनके कार्यों को व्यावसायिक प्रबोधन प्रदान करने के लिए उनमें विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

निधियां

3.4 पंचायती राज निकायों की वित्तीय स्थिति सबसे अधिक खराब है । हालांकि वे बढ़ते अनुभव और आत्म विश्वास के बल पर मूल्य प्रभावी हो सकते हैं शुरुआती चरण में उन्हें राज्य सरकार और केन्द्र से वित्तीय और संसाधन संबंधी सहायता की आवश्यकता होगी । विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए जो आवंटन केन्द्र और राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है, वही आवंटन इन कार्यक्रमों और कार्यकलापों को पंचायती राज निकायों में स्थानांतरित करने के बाद उन पंचायती राज निकायों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए । इन संस्थानों को व्यवहार्य बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी । साथ ही यह भी आवश्यक है कि ऐसी वित्तीय सहायता की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि इसके परिणामस्वरूप ये शुरुआत से ही मूल्य प्रभावी और सक्षम हो सके । स्वयं ही संसाधन पैदा करने पर उन्हें उपयुक्त अनुदान देकर पुरस्कृत किया जाना चाहिए ।

शिक्षक समुदाय

3.5 शिक्षा एक संवेदनशील क्षेत्र है । शिक्षक समुदाय शैक्षणिक कार्यक्रमों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संघटक है । पंचायती राज/नगरपालिका निकायों को शैक्षिक कैडर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयम, कल्पना, सहानुभूति तथा उचित समझदारी के साथ अनिवार्य रूप से संवेदनशील बनाया जाना चाहिए । अतीत के अनुभवों से यह पता चलता है कि शिक्षक समुदाय पंचायती राज निकायों के साथ अपने अंत: सम्बन्धों से हमेशा सन्तुष्ट नहीं रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि भर्ती तथा स्थानान्तरण से सम्बन्धित मुद्दों से ~~पंचायती राज~~ निकायों तथा शिक्षक समुदाय के मध्य गलतफहमी उत्पन्न हुई है । यद्यपि स्कूलों के प्रभावी तथा नियमित संचालन को सुनिश्चित करने में पंचायती राज निकायों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है तथापि उन्हें शिक्षकों की भूमिका पहचाननी होगी तथा उसका मूल्यांकन करना होगा । राज्य को कार्मिक प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में, विशेष रूप से शिक्षकों की तैनाती तथा उनके स्थानान्तरण के मानदंड के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने की आवश्यकता है ।

व्यावसायिक सहायता

3.6 हालांकि पंचायती राज निकायों को सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, तथापि शैक्षिक प्रगति के लिए व्यावसायिक निवेश तथा सहायता की आवश्यकता होगी । पंचायती राज निकायों को व्यावसायिक संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों से अपने सम्बन्ध बनाने और अपने शैक्षिक प्रयासों की प्रोन्नति के लिए उनकी सहायता प्राप्त करने में अनिवार्य रूप से सक्षम बनाया जाना चाहिए । प्रगति का मूल्यांकन करने, परिप्रेक्ष्य योजनाओं को तैयार करने, नवाचारी योजनाओं को तैयार करने, सर्वेक्षणों का आयोजन करने तथा ऐसे ही दूसरे शैक्षणिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए व्यावसायिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी । राज्य के शिक्षा विभागों को व्यावसायिक व्यक्तियों को शामिल करने तथा उनकी सहायता प्राप्त करने हेतु उपयुक्त मशीनरी को तैयार करने के काम में पंचायती राज/नगरपालिका निकायों की अवश्य सहायता करनी चाहिए ।

कार्यों का प्रत्यायोजन

3.7 यद्यपि संविधान में पंचायती राज/नगरपालिका निकायों की स्थापना करने तथा उनका नियमित चुनाव अनिवार्यतः आयोजित करने का प्रावधान है, तथापि पंचायती राज निकायों को प्रत्योयोजित किये जाने वाले कार्यों तथा शक्तियों के सम्बन्ध में निर्णय लेने में राज्य-विधायिकाओं को विवेक का उपयोग करने की छूट है । इन निकायों की संरचना का कार्य राज्य-सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है । पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न निकायों की संरचना को तैयार करने के सम्बन्ध में राज्यों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करते समय, समिति के प्रस्ताव मुख्यतः संविधान के प्रावधानों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई योजना से तैयार किये जाते हैं । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रकृति एक विस्तृत ढांचे जैसी है जिसका विस्तार तथा विकास राज्यों द्वारा अपनी भिन्न-2 परिस्थितियों के अनुसार किया जाना है । समिति के प्रस्ताव राज्य सरकारों को उनसे सम्बन्धित मामलों के विषय में निर्णय लेने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तैयार किये जाते हैं । अंततः राज्यों को संवैधानिक संशोधनों की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के ढांचे को चुनने, पंचायती राज/नगरपालिका निकायों को सौंपे जाने वाले अधिकारों और अपने कार्यों की अनुसूची का निर्धारण करने की स्वतंत्रता होगी । समिति इस तथ्य से भली-भांति अवगत है कि सभी राज्यों के लिए एक ही मॉडल नहीं अपनाया जा सकता है । पंचायती राज/नगरपालिका निकायों को सौंपी जाने वाली शक्तियों की मात्रा एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती है जो कि उनके पिछले अनुभव, वर्तमान अवधारणाओं तथा परिस्थितियां और भावी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी । समिति ने प्रस्तावों को यथासंभव व्यापक और विस्तृत बनाने का प्रयास किया है ताकि राज्यों को अपनी आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त कार्यवाही के लिए सभी विवरणों का मूल्यांकन करने का अवसर मिल सके ।

राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों की भूमिका

3.8 राज्य सरकारों, शिक्षा विभागों, व्यावसायिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों तथा पंचायती राज/नगरपालिका निकायों को शैक्षिक पुनर्निर्माण के कार्य में अवश्य ही सहभागी बनना चाहिए । राज्य सरकारों को अपेक्षित सहायता, दिशानिर्देश तथा सलाह के लिए अनिवार्य रूप से प्रावधान करना चाहिए ; शिक्षा विभागों को व्यावसायिक

.../=

सहायता तथा प्रशासनिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, व्यावसायिक संगठन तथा स्वैच्छिक संगठन आवश्यक अन्तर्दृष्टि तैयार करने का कार्य कर सकते हैं, जबकि पंचायती राज/नगरपालिका निकाय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने तथा उन्हें अभिप्रेरित करने का कार्य करेंगे। प्रतिद्वन्द्वात्मक भूमिकाओं तथा नकारात्मक जवाबों के लिए इन प्रयासों में कोई स्थान नहीं होगा। शिक्षा के विकास में पंचायती राज निकायों की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि केन्द्र, राज्य तथा विभाग इन निकायों को सर्वोत्तम सिद्धांतों के साथ उनके बेहतर विकास के लिए किस प्रकार सहायता और दिशा-निर्देश उपलब्ध कराते हैं।

परिदृश्य

3.9 स्थानीय स्व-शासन हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। प्राचीन भारत में ग्राम स्व-शासन के अत्यन्त प्रभावी साधन थे। ब्रिटिश शासन-काल में भी शिक्षा के विकास में जिला बोर्डों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती थी। तदनन्तर, विकास की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए पंचायती राज आन्दोलन शुरू किया गया। यद्यपि संभवतः ज्यादातर राजनीतिक कारणों से पंचायती राज निकायों के अन्तर्गत शैक्षिक प्रबन्ध के रिकार्ड मिश्रित हो गये हैं, तथापि कुछ राज्यों ने अच्छे परिणाम दिखाए हैं। हाल ही में, कुछ राज्यों से जहां पंचायती राज निकायों की स्थापना की गई है, उत्साहवर्द्धक प्रगति की रिपोर्ट मिली है। इस प्रमाण में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है कि शैक्षिक विकास के क्षेत्र में चुनौती को स्वीकार करने में प्रशासन तन्त्र सक्षम नहीं है और विश्वभर में सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों की सहभागिता एक आवश्यक पूर्वापेक्षा बन गई है। इसी सन्दर्भ में समिति का यह विचार है कि पंचायती राज निकायों/स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को शैक्षिक कार्यक्रमों को सौंपा जाना सही दिशा में उठाया गया कदम है।

अध्याय-IV

सिफारिशें

संवैधानिक प्रावधान

4.1 समिति ने अपने विचार-विमर्श के दौरान तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना (1992) से दिशा-निर्देश प्राप्त किया। समिति की सिफारिशें मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में हैं जिन्हें व्यापक तो समझा जा सकता है, लेकिन संपूर्ण नहीं। यदि शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो संवैधानिक संशोधनों की भावना तथा लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यथोचित विचार-विमर्श तथा परामर्श के पश्चात् राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रणाली और व्यवस्था का चयन कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लिए पहली बार शक्तियों का प्रत्यायोजन करते समय राज्य सावधानीपूर्वक कदम उठाने को प्राथमिकता दे सकते हैं और वे राज्य जिन्होंने इस क्षेत्र में पहले से ही अनुभव प्राप्त किये हैं वे इन प्रस्तावों में सुधार करने का निर्णय ले सकते हैं तथा पंचायती राज/नगर पालिका निकायों को और अधिक दायित्व सौंप सकते हैं।

4.2 प्रत्येक राज्य में गांव, मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना करने के लिए संविधान में अधिदेशात्मक प्रावधान हैं। तिहरे स्तर के ढांचे को ध्यान में रखते हुए (20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं है) इन प्रस्तावों में पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को शैक्षिक प्रबन्ध का दायित्व सौंपने की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में (क) पंचायतें जिनका क्षेत्राधिकार एक गांव तक सीमित है, (ख) पंचायतें जिनका क्षेत्राधिकार कई गांवों के समूह तक फैला है (ग) पंचायत समितियों (मध्यवर्ती स्तर) तथा (घ) जिला परिषदों (जिला स्तर) के बारे में समिति की सिफारिशों का सारांश क्रमश: विवरण I (क), I(ख), II और III में दिया गया है। इस अध्याय के परवर्ती परिच्छेदों में सिफारिशों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

.../=

पंचायत स्तर

4.3 पंचायत के क्षेत्राधिकार को परिभाषित करने के उद्देश्य से, राज्यपाल द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से गांव को विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा इस प्रकार के विनिर्देशन में कई ग्रामों के समूह को सम्मिलित किया जा सकता है । किसी पंचायत के क्षेत्र से उस पंचायत का अधिकारिता क्षेत्र अभिप्रेत है । इसका आशय यह है कि ग्राम स्तर की पंचायतों में एक गांव अथवा कई गांवों के समूह को शामिल किया जा सकता है ।

4.4 केब द्वारा अनुमोदित कार्रवाई योजना में ग्राम शिक्षा समितियों (वी. ई. सी.) को पर्याप्त महत्त्व प्रदान किया गया है । ग्राम सामान्यतया एक संशक्तशील समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा समुदाय की सहायता को शामिल करने वाले कार्यक्रमों जैसे, प्रारंभिक शिशु देख-रेख तथा शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आदर्शतः उपयुक्त हैं । ग्राम शिक्षा समिति को लोगों को शैक्षिक प्रयासों में शामिल करने तथा उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए आदर्श संगठन समझा जा सकता है ।

शिक्षा संबंधी पंचायत स्थाई समिति

4.5 ऐसे पंचायत स्तर की शिक्षा समिति, जहां पंचायत में केवल एक ग्राम सम्मिलित हो, को शिक्षा संबंधी पंचायत स्थायी समिति कहा जा सकता है । इसे पंचायती राज विधान के अन्तर्गत लाकर इसको सांविधिक प्राधिकार प्रदान किया जा सकता है । इस समिति का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल के बराबर होगा ।

शिक्षा के प्रबन्धन के लिए प्रस्तावित पंचायती राज ढांचे तथा उनके दायित्व

विवरण-1 क: पंचायत का वह स्तर जहां पंचायत में केवल एक गांव शामिल है

शिक्षा के प्रबन्धक के लिए प्रस्तावित ढांचा तथा उसकी संरचना	कर्तव्य और भूमिका	शक्तियां	निधियां	संगठनात्मक तथा प्रशासनिक सहायता	तैयारी तथा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं
	2	3	4	5	6
शिक्षा संबंधी पंचायत स्थायी समिति (पी ई सी) जिसमें 7 से कम तथा 15 से अधिक सदस्य न हों। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे	प्रौढ़ शिक्षा, प्रारंभिक शिशु देख-रेख तथा शिक्षा, अनौपचारिक तथा प्राथमिक शिक्षा का पर्यवेक्षण	शैक्षिक संस्थानों का दौरा	राज्य सरकारों जिला परिषद तथा पंचायत समिति द्वारा धन उपलब्ध कराया जाना।	सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों की सहायता	शिक्षा संबंधी पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों, शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का प्रबोधन/प्रशिक्षण।
पंचायत का अध्यक्ष	पंचायत समिति से प्रत्यायोजित प्राधिकार के अन्तर्गत संयुक्त उच्च प्राथमिक स्कूलों का पर्यवेक्षण।	उपस्थिति तथा अन्य रजिस्टरों की जांच करना, गांव के शैक्षिक खामियों तथा उनकी आवश्यकताओं के बारे में जांच पड़ताल करना तथा संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट देना।	राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए धन को भिन्न-2 प्रयोजनों के लिए निर्धारित करना		
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों में से एक सदस्य	जनसंख्या के सभी वर्गों (की सहभागिता) को सुनिश्चित करना, ग्रामीण समुदाय में जागरूकता पैदा करना तथा उसे बनाए रखना।				

1	2	3	4	5
पी टी ए (अभिभावक) का एक प्रतिनिधि	प्राथमिक स्कूलों में नामांकन अभियान को बढ़ावा देना तथा जिन अभिभावकों के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी करना ।	सम्बन्धित प्राधिकरण से स्कूल के वार्षिक बजट की सिफारिश करना	अभिभावकों तथा जनता से स्थानीय रूप से एकत्रित की गई निधियां ।	
एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षा में रूचि रखने वाला एक व्यक्ति		निर्माण तथा मरम्मत के जो काम इन्हें सौंपे गये हैं, उन्हें शुरू करना ।		
सदस्य सचिव-प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक	स्कूल में बनाए रखने से संबंधित उपायों और सेवाओं के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों को बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना । प्राथमिक स्कूलों को अच्छी तरह से काम करने में सहायता देना ।	विद्यार्थियों की नियमितता, शिक्षकों की उपस्थिति तथा स्कूल के कार्य की रिपोर्ट तैयार करना ।		

टिप्पणी:

1. चुनी हुई पंचायत के सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्य पंचायत द्वारा सहयोजित किये जायेंगे ।

शिक्षा तथा शिक्षा से जुड़े स्वास्थ्य तथा कल्याण के कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों, युवकों तथा महिलाओं और दूसरे व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करना ।

जिला परिषद् के दिशा निर्देशों के तहत स्कूल-कलैण्डर तैयार करना

.../=

2.	3.	4.	5.	6.
2. समिति के कुल सदस्यों में कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए ।	पानी की आपूर्ति, शौचालय, क्रीड़ा स्थलों तथा अन्य सुविधाओं के लिए संसाधन जुटाना तथा स्कूलों की सहायता करना गांव में शिक्षा के विकास के लिए अपने संसाधनों के भीतर योजनाएं तथा प्रस्ताव तैयार करना तथा सभी प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना तथा प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना पंचायत समितियों की रिपोर्ट और प्रस्ताव प्रस्तुत करना और समिति के प्रयासों से हुई प्रगति का समय-समय पर स्व-मूल्यांकन करना । वास्तविक सहायता के लिए अन्य समाज सेवा विभागों तथा समितियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।			

विवरण I ख वह, गांव स्तर जहां पंचायतों में गांवों का एक समूह है।

शिक्षा के प्रबंध तथा उसकी संरचना के लिए प्रस्तावित ढांचा	भूमिका एवं कार्य	अधिकार	निधियां	संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सहायता	तैयारी एवं प्रशिक्षण आवश्यकताएं
1	2	3	4	5	6
पंचायत द्वारा अपनी उप-समिति के रूप में गठित गांव शिक्षा समिति जिसमें कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 सदस्य हों।	प्रौढ शिक्षा, प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा, गैर औपचारिक एवं प्राथमिक शिक्षा का पर्यवेक्षण पंचायत समिति से प्राधिकार के प्रत्योजन के तहत संयुक्त अपर प्राथमिक स्कूलों का पर्यवेक्षण	शैक्षिक संस्थाओं का दौरा गांव में शैक्षिक अभावों और आवश्यकताओं के संबंध में पता लगाने के लिए उपस्थिति तथा अन्य रजिस्टरों की जांच करना और संबंधित प्राधिकारियों को इस बारे में रिपोर्ट देना	राज्य सरकारों जिला परिषदों और पंचायत समिति द्वारा प्रदान की गई निधियां राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई उद्दिष्ट निधियां।	राजकीय स्कूलों में मुख्याध्यापक और शिक्षकों की सहायता करना	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, शिक्षकों और मुख्य ध्यापकों अनुस्थापन प्रशिक्षण
संबंधित गांव से पंचायत का अध्यक्ष या पंचायत का एक सदस्य अ0जा0, अ0ज0जा0 पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्ग से एक सदस्य	जनसंख्या के सभी वर्गों की सहभागिता को सुनिश्चित करके गांव समुदाय के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करना और उसे बनाए रखना	और अन्य रजिस्टरों तथा उपस्थिति की जांच करना।	अभिभावकों और जनता से स्थानीय तौर से जुटाया गया धन		
अभिभावक शिक्षक संघ का एक सदस्य (अभिभावक)	प्राथमिक स्कूलों में दाखिला अभियान को और बढ़ावा देना और स्कूल में उपस्थित न होने वाले बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए राजी करना।				
एक आंगनवाडी कार्यकर्त्ता गांव से शिक्षा में रुचि रखने वाला एक व्यक्ति		संबंधित प्राधिकारियों को स्कूल का वार्षिक बजट सौंपना			
	प्रतिधारण के लिए उपाय				
सदस्य सचिव प्राथमिक	एवं सेवाएं शुरू करके प्राय-	सम्बन्धित प्राधि-			

अपर प्राथमिक स्कूल का मुख्याध्यापक	मिक स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वालों की संख्या में कमी करना।	कारी को स्कूल के वार्षिक बजट की सिफारिश करना। उनको
टिप्पणी	प्राथमिक स्कूलों के निर्विघ्न-	सौंपे गए निर्माण
----	कार्य में सहायता करना	एवं मरम्मत
1. निर्वाचित पंचायत सदस्यों के अलावा सदस्यों को गांव में ग्राम सभा/ संस्थाओं से पंचायत द्वारा नामित किया जाएगा।	शैक्षिक और स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के विषय में शिक्षकों युवकों और अन्य व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करना ।	कार्यों को प्रारम्भ करना । छात्रों की नियमितता/शिक्षकों की उपस्थिति एवं स्कूल के कार्यों की रिपोर्ट देना।
2. समिति की कुल सदस्यता में से कम-से-कम एक तिहायी महिलाएं होनी चाहिए।	जल आपूर्ति पेशाबखाने, खेल के मैदान और अन्य सुविधाएं मुहैया करने के लिए संसाधन जुटाना और स्कूलों की सहायता करना।	जिला परिषद् के मार्गदर्शन के अन्तर्गत स्कूल कैलेण्डर तैयार करना
	प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, सम्पूर्ण प्रौढ साक्षरता को प्राप्त करने एवं गांव में शिक्षा को विकसित करने के लिए अपने संसाधनों से योजनाओं और प्रस्तावों को तैयार करना ।	
	पंचायत समितियों को रिपोर्ट एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करना और समिति के प्रयासों की प्रगति का समय-समय पर स्वमूल्यांकन करना ।	
	पारस्परिक सहायता के लिए अन्य सामाजिक सेवा विभागों और समितियों से समन्वय करना ।	

विवरण II मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति

शिक्षा के प्रबंध और उसकी संरचना के लिए प्रस्तावित ढांचा	भूमिका एवं कार्य	अधिकार	निधियां	संगठनात्मक और प्रशासनिक सहायता	तैयारी एवं प्रशिक्षण आवश्यकताएं
1	2	3	4	5	6
शिक्षा संबंधी पंचायत समिति की स्थायी समिति में कम से कम 11 और अधिक से अधिक 17 सदस्य होने चाहिए। इसमें शामिल होंगे:	जिला परिषद के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा एवं राजकीय प्राथमिक और अवर प्राथमिक स्कूल का प्रबंध	प्रौढ शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा और प्राथमिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा कार्य कर्मों के लिए स्टाफ की नियुक्ति करना।	जिला परिषद से अनुदान राज्य के जरिए, राज्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं से	पंचायत समिति के समानुरूप स्तर शिक्षा विभाग के स्टाफ सदस्यों की सेवाएं पंचायत समिति को सौंप दी जाएगी।	पी.ई.सी. के गैर-सरकारी सदस्यों और उनके साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों का अनुस्थापन प्रशिक्षण
पंचायत समिति का अध्यक्ष	जिला परिषद के मार्गदर्शन के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक स्कूलों का पर्यवेक्षण तथा उन्हें अनुदान देना।	अनुमोदित पदों से स्कूलों के स्टाफ की नियुक्ति करना।	अनुदान संबंधित एजेंसियों द्वारा द्वारा उद्दिष्ट निधियाँ।	अध्यक्ष	
अ0जा0, अ0ज0जा0, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का एक सदस्य					
अभिभावक शिक्षक संघ/एन.जी.ओ. का एक प्रतिनिधि | परिवर्तन	निजी स्कूलों सहित सभी प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक स्कूलों का शैक्षिक पर्यवेक्षण	मार्गदर्शनानुसार अपने क्षेत्राधिकार में शिक्षकों का स्थानान्तरण करना।	स्वैच्छिक दान धार्मिक न्यासों से निधियां प्राप्त करना।		
द्वारा वी.ई.सी./पी.ई.सी. का बारी-बारी से एक या दो प्रतिनिधि	अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली अपर प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना	अपर प्राथमिक स्तर तक की सभी संस्थाओं का शैक्षिक पर्यवेक्षण करना	पंचायत समिति द्वारा कर लगाकर निधियां जुटाना		
डिग्री/पूर्व डिग्री कालेज का एक प्रधानाचार्य।					

स्कूल परिसर/माध्यमिक स्कूल का एक मुख्याध्यापक

शिक्षकों का एक प्रतिनिधि

सदस्य सचिव ब्लाक शिक्षा अधिकारी या उसके समकक्ष अधिकारी

टिप्पणी:

1. समिति के निर्वाचित सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्य पंचायत समिति द्वारा सहयोजित किए जाएंगे।

ii. समिति की कुल सदस्यता में से कम से कम एक तिहायी महिलाएं होनी चाहिएं।

स्कूलों परिसरों का विकास एवं समन्वय

पारस्परिक सहायता के लिए अन्य सामाजिक सेवा विभागों और समितियों के साथ-समन्वय

सिलसिला बनाए रखने के उद्देश्य से संयुक्त अपर प्राथमिक स्कूलों के पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियां का आर.ई.सी./वी.ई.सी. को प्रत्योजित करना।

बजट तैयार करना और पंचायत समिति शिक्षा बजट से व्यय तथा योजनाएं संस्वीकृत करना।

जिन परिषदों के पर्यवेक्षण में सहायता प्राप्त संस्थाओं को निधियां देना

संसाधनों को जुटने के लिए विकास शुल्क और अन्य शुल्क लगाना।

जनता से अंशदान तथा दान जुटना

संसाधनों को जुटने के लिए पंचायत समिति को उपाय प्रस्तावित करना।

विवरण III: जिला स्तर पर जिला परिषद

शिक्षा के प्रबंध के लिए प्रस्तावित ढांचा और उसकी संरचना	भूमिका एवं कार्य	अधिकार	निधियाँ	संस्थागत एवं प्रशासनिक सहायता	तैयारी एवं प्रशिक्षण-संबंधी अपेक्षाएं
शिक्षा संबंधी जिला परिषद की स्थायी समिति में कम से कम 15 और अधिक से अधिक 21 सदस्य होंगे जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:	जिले में माध्यमिक स्तर तक के सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का सम्पूर्ण निरीक्षण	माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों की स्थापना तथा उनका रख-रखाव इसमें सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति एवं स्थानान्तरण, वेतनों का भुगतान तथा कर्मचारियों का नियंत्रण शामिल है	राज्य के जरिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को राज्य सरकार के अनुदान प्रदान करना	जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सेवाएं जिला परिषद को सौंप दी जाएंगी	जिला परिषद शिक्षा समिति के गैर-सरकारी सदस्यों तथा शैक्षिक पदाधिकारियों का प्रशिक्षण/प्रबोधन
अध्यक्ष, जिला परिषद अनु·जा·, अनु·ज·जा·, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का एक-एक प्रतिनिधि	जिले में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के विकास हेतु योजनाएं तैयार करना, उनका कार्यान्वयन तथा पुनरीक्षा करना	सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार माध्यमिक स्तर तक के सहायता वाले एवं निजी स्कूलों सहित सभी स्कूलों का शैक्षिक निरीक्षण एवं उनका नियंत्रण शैक्षिक संस्थाओं के बेहतर कार्यकरण हेतु शैक्षिक व प्रशासनिक मानदंड	एजेंसियों द्वारा धनराशियाँ उद्दिष्ट कराना जिला परिषद द्वारा करों के जरिए शिक्षा के लिए संसाधन जुटाना दान, स्वैच्छिक चंदा	राजकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की सेवाएं जिला परिषद को सौंप दी जाएंगी। उनकी सेवा शर्तों का संरक्षण किया जाएगा। शैक्षिक अधिकारी विभाग के अधीन कार्य करते रहेंगे तथा उन्हें जिला परिषद व पंचायत समिति के साथ काम करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाएगा। मातहत कर्मचारियों की सेवाएं परिषद को सौंप दी जाएंगी।	जिला परिषद शिक्षा समिति के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-7785
DOC, No
Date 14-10-93

		निर्धारित करना	आ जायेंगे ।
	अभिभावक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि	पूर्ण साक्षरता तथा प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम तैयार करना तथा	सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता वाले निजी स्कूलों को अनुदान प्रदान करना ।
	पंचायत समिति एवं पंचायत/ग्राम शिक्षा समितियों के दो अथवा उससे अधिक प्रतिनिधि	उनका आयोजन करना	पंचायत समिति शिक्षा समितियों और पंचायत शिक्षा समितियों के कार्य का निरीक्षण करना ।
	एक कालेज के प्रधानाचार्य विद्यालय/कालेज के शिक्षा के प्रोफेसर	माध्यमिक स्तर तक के स्कूल खोलना उनका प्रबंध करना ।	शैक्षिक बजट तैयार करना तथा उसका अनुमोदन करना ।
	जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रधानाचार्य स्कूल काम्प्लेक्स/ माध्यमिक स्कूल के प्रमुख	सभी संस्थाओं का शैक्षिक निरीक्षण जिले के माध्यमिक स्तर तक के सरकारी, सहायता वाले निजी स्कूल, नगर पालिकाओं के स्कूल भी शामिल हैं ।	जिला शैक्षिक निधियों की देख-रेख करना जिले के लिए संसाधन योजना तैयार करना जिला परिषद् को उपायों का सुझाव देना जिसमें शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु उपकर, अधिशुल्क कर लगाना शामिल है ।
	शिक्षकों का एक प्रतिनिधि		
	सचिव-मुख्य शिक्षा अधिकारी अथवा समकक्ष	नगर पालिकाओं के स्कूलों सहित माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के विकास हेतु योजनाएं तैयार करना तथा उनका समन्वय, प्रगति की पुनरीक्षा करना तथा पंचायत समिति तथा पंचायत शिक्षा समिति के कार्यों में उनका मार्ग दर्शन करना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना आपसी सहायता हेतु	

टिप्पणी :

1. समिति के निर्वाचित सदस्यों के अलावा सदस्यों को जिला परिषद् द्वारा सहयोजित किया जायगा।
2. समिति की कुल सदस्यता में, कम से कम एक-तिहाई महिलाएं होंगी ।

संरचना

4.6 शिक्षा संबंधी पंचायत स्थायी समिति में कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 सदस्य शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी । इसके सदस्यों में कम से कम एक तिहाई महिलाएं होंगी । समिति में अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एक सदस्य होना चाहिए । अभिभावक - शिक्षक संघ का एक अभिभावक प्रतिनिधि , एक आंगनवाडी कार्यकर्ता तथा एक शिक्षा विद अथवा गांव से शिक्षा में रूचि रखने वाला एक व्यक्ति भी समिति के सदस्य होंगे। समितियों के वे सदस्य जो पंचायत के अनिर्वाचित सदस्य हैं, पंचायत द्वारा नामित किए जा सकते हैं । समिति का सदस्य - सचिव पंचायती राज प्राथमिक अथवा गांव के अपर प्राथमिक स्कूल का प्रधानाध्यापक होगा तथा वह पंचायत द्वारा नामित किया जाएगा ।

भूमिका

4.7 शिक्षा संबंधी पंचायत स्थायी समिति की भूमिकाओं में ये शामिल हैं:- समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करके गांव के समुदायों में जागरूकता पैदा करना तथा उसे बढ़ाना, स्कूलों एंव केन्द्रों के प्रभावी व नियमित कार्यकरण के प्रबंध तथा पर्यवेक्षण के लिए शिक्षक तथा समुदाय की सहभागिता जुटाना । इस समिति का प्रयत्न होना चाहिए कि प्रत्येक परिवार का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करे ।

4.8 समिति अपने अधिकार क्षेत्र में प्रारंभिक शिशु देखभाल व शिक्षा , अनौपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करेगी । यह पंचायत समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संयुक्त अपर प्राथमिक स्कूलों का भी पर्यवेक्षण करेगी।

कार्य

4.9 शिक्षा संबंधी पंचायत स्थायी समिति को समय-समय पर संस्थाओं तथा केन्द्रो का दौरा करना और दाखिला अभियानों को बढ़वा देना अपेक्षित होगा । इसके कार्यकलापों की सूची में स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए मनाना तथा साक्षरता कार्यक्रमों के प्रति प्रौढ़ों में उत्साह जगाना विशेष रूप से शामिल हो सकते हैं ।

4.10 विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में उपस्थिति को बढ़वा देने तथा पढ़ाई बीच में छोडने को रोकने के उपायों का सुझाव देना भी इस समिति के उत्तरदायित्वों में होगा । समिति छात्रों को स्कूलों में रोके रखने के लिए सहायक उपाय तथा सेवाएं भी प्रारंभ करेगी और प्राथमिक स्कूलों ,संयुक्त अपर स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं के निर्बाध कार्यकरण में भी सहायक करेगी । समिति का प्रयत्न यह भी होना चाहिए कि वह शिक्षकों की उनके कार्यो में सहायता

करे तथा उन्हें प्रोत्साहित करे । यह स्कूलों मे पेय जल, शौचालयों, खेल के मैदानों आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी । समिति शिक्षा के विकास संबंधी रिपोर्टें तथा प्रस्ताव समय -समय पर पंचायत समिति को भेजेगी तथा अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करेगी । समिति जितनी अपेक्षित हों उतनी बैठकें बुला सकती है परन्तु एक तिमाही में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए ।

अधिकार

4·11 शिक्षा संबंधी पंचायत स्थायी समिति को प्रारंभिक शिशु देखभाल एंव शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षिक संस्थाओं और केन्द्रों का दौरा करने का अधिकार होगा । तथा उपस्थिति एवं अन्य रजिस्टरों की जांच करेगी । इसे शिक्षा संबंधी अभावों तथा गांव की आवश्यकताओं की जांच करने तथा उनकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजने का भी अधिकार होगा ।

समिति पंचायती राज स्कूलों के वार्षिक बजट के बारे में संबंधित पदाधिकारियों को सिफारिश करेगी । वह छात्रों व शिक्षकों की उपस्थिति तथा स्कूलों के कार्यकरण में अनियमितताओं के बारे में भी रिपोर्ट भेजेगी । यह जिला परिषद के मार्गदर्शन में स्कूल का कलेंडर भी तैयार करेगी जिसमें कार्यदिवसों, अवकाशों तथा छुटिटयों का उल्लेख होगा ।

निधियां

4·12 समिति गांव में आराम किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अधिकांशतः जिला परिषद तथा पंचायत समिति द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि पर निर्भर करेगी । वह विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रदान उद्दिष्ट धनराशि भी प्राप्त करेगी । समिति अभिभावकों तथा जनता से स्थानीय रूप से भी धनराशि एकत्र कर सकती है ।

समन्वय

4·13 ग्राम शिक्षा समितियों के लिए यह वांछनीय होगा कि वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में तथा अन्य विषयों में अपने क्रियाकलापों के लिए इसी तरह के निकायों के साथ संयुक्त बैठकें करें तथा उनकी सहायता मांगे ।

प्रशासनिक सहायता

4·14 ग्राम शिक्षा समितियां मुख्यतः पंचायती राज स्कूलों के प्रधानाध्यापक, स्टाफ तथा शिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा प्रदान की गई सहायता के

आधार पर कार्य करेंगी ।

प्रशिक्षण

4·15 ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को अपने अपने कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए प्रबोधन एंव प्रशिक्षण करना होगा । प्रधानाध्यापकों को विशेष प्रबोधन किया जाएगा ताकि वे ग्राम शिक्षा समितियों के क्रियाकलापों में उनकी सहायता कर सकें ।

पंचायत की उप- समिति के रूप में ग्राम शिक्षा समिति

4·16 जहाँ किसी पंचायत में एक से अधिक गाँव शामिल हों तो वह प्रत्येक गाँव के लिए पंचायत की उप समिति के रूप में ग्राम शिक्षा समिति का गठन कर सकती है । उसके पास संवैधानिक अधिकार होंगे क्योंकि वे राज्य पंचायती राज विधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंचायतों द्वारा गठित की जाएगी। पंचायतों को इन समितियों को ये अधिकार प्रत्यायोजित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

संरचना

4·17 ग्राम शिक्षा समिति की अध्यक्षता उस पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी जिस गाँव में उसे निर्वाचित किया गया है । अन्य गाँवों में, संबंधित गाँव का प्रतिनिधित्व करने वाला पंचायत का सदस्य, ग्राम शिक्षा समिति की अध्यक्षता कर सकता है । ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की संख्या वही होगी जो शिक्षा संबंधी पंचायत स्थायी समिति के लिए है। इस बात को छोडकर कि सभी सदस्य गांवों से लिए जाएंगे, समिति की संरचना भी वही होगी ।

4·18 पंचायत स्थायी समिति की शेष विशेषाएँ ग्राम शिक्षा समितियों (उप – समितियों) पर भी लागू होंगी ।

पंचायत समिति

4·19 संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती राज निकाय होगा ।

शिक्षा संबंधी पंचायत समिति की स्थायी समिति

4·20 पंचायत समिति शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रबंध के लिए अपने क्षेत्राधिकार में शिक्षा संबंधी पंचायत समिति की स्थायी समिति का गठन कर सकती है । समिति

को पंचायती राज विधान के अधीन सांविधिक मान्यता प्राप्त होगी तथा उसका कार्यकाल वही होगा जो पंचायत समिति का होगा ।

संरचना

4·21 शिक्षा संबंधी पंचायत समिति [स्थायी समिति की अध्यक्षता पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी । समिति में कम से कम 11 तथा अधिक से अधिक 17 सदस्य होंगे जिसमें कम से कम एक-तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी। समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक-एक सदस्य होना चाहिए।

4·22 अभिभावक शिक्षक संघ से एक अभिभावक भी समिति में होना चाहिए । शिक्षा संबंधी पंचायत स्थायी समितियों/ग्राम शिक्षा समितियों के कम से कम दो सदस्यों को चक्रानुक्रम में नामित किया जा सकता है। डिग्री /पूर्व- डिग्री कालेज का एक प्रधानाचार्य, स्कूल कॉम्प्लेक्स/माध्यमिक स्कूल का प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों का एक प्रतिनिधि भी समिति में होना चाहिए । समिति का सदस्य-सचिव ब्लाक स्तर का शिक्षा अधिकारी होगा । समिति के अनिर्वाचित सदस्य पंचायत समिति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं ।

भूमिका

4·23 शिक्षा संबंधी पंचायत समिति की स्थायी समिति जिला परिषद के समग्र निरीक्षण में प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिशु शिक्षा एवं देखभाल तथा पंचायती राज निकायों के अपर प्राथमिक स्तर तक के स्कूलों के प्रबंध के लिए जिम्मेवार होगी ।

4·24 अपर प्राथमिक स्तर तक के सभी मौजूदा सरकारी स्कूल अपने स्टाफ सहित पंचायत समितियों के नियंत्रण में आ जाएँगे तथा राज्य क्षेत्र में स्कूल, भविष्य में, केवल पंचायत समितियों द्वारा स्थापित किए जाएँगे।समिति का सहायता-प्राप्त अपर प्राथमिक स्कूलों पर भी पर्यवेक्षणात्मक अधिकार होगा तथा उन्हें जिला परिषद के मार्गदर्शन में अनुदान प्रदान करेगी । इस संबंध में, समिति उसी तरह से कार्य करेगी जैसाकि इस स्तर के वर्तमान विभागीय संस्थान करते हैं।

4·25 पंचायत समिति की स्थायी समिति अपने अधिकार क्षेत्र के निजी स्कूलों सहित अपर प्राथमिक स्तर तक की सभी शैक्षिक संस्थाओं के शैक्षिक निरीक्षण का कार्य अपने हाथ में लेगी ।

4·26 इस स्तर पर शिक्षा समिति अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूल परिसरों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगी । समिति अपने क्षेत्र में शिक्षा की प्रगति की समय-समय पर पुनरीक्षा करेगी तथा पूर्ण प्रौढ साक्षरता और प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभकरण के कार्यक्रमों के अनुसार सक्रिय रूप से कार्य करेगी ।

कार्य

4·27 समिति अपर प्राथमिक स्तर तक की सभी पंचायती राज शैक्षिक संस्थाओं पर नियंत्रण रखेगी । निजी स्कूलों सहित अपर प्राथमिक स्तर तक के सभी स्कूलों का शैक्षिक पर्यवेक्षण, इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होगा। समिति अपने अधिकार क्षेत्र में अपर प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी। यह पंचायत समिति के शैक्षिक बजट भी तैयार करेगी तथा किए जाने वाले व्यय का भी अनुमोदन करेगी । समिति आपसी सहायता हेतु सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के लिए अन्य निकायों के साथ समन्वय करेगी

अधिकार

4·28 शिक्षा संबंधी पंचायत समिति की स्थायी समिति पंचायत समिति में राजकीय स्कूलों से स्थानान्तरित कर्मचारियों पर अपना नियंत्रण रखेगी जिसमें वेतनों का भुगतान भी शामिल है । ये अपने नियंत्रणाधीन स्कूलों में, उपयुक्त निकाय द्वारा दिए गए नामों की सूची में से कर्मचारियों को नियुक्त करेगी तथा जिला परिषद्/सरकार द्वारा बनाए गए दिशा- निर्देशों के अनुसार उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरित करेगी। यह समिति जिला परिषद के निरीक्षण में सहायता वाले स्कूलों को अनुदान प्रदान करेगी । इसके पास अपने अधिकार क्षेत्र के अपर प्राथमिक स्तर के सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के शैक्षिक पर्यवेक्षण का अधिकार होगा । यह समिति पंचायत समिति का शैक्षिक बजट और योजनाएँ तैयार करेगी तथा अनुमोदित बजट में से व्यय संस्वीकृत करेगी । यह समिति विकासात्मक शुल्कों और अन्य शुल्क लगा करके तथा जनता से चन्दा एवं दान लेकर अपने संसाधन जुटा सकती है। समिति अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए पंचायत समिति तथा जिला परिषद को उपाय प्रस्ताव प्रस्तावित कर सकती है। यह संयुक्त अपर प्राथमिक स्कूलों पर पर्यवेक्षण संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी पंचायत स्थायी समिति/ग्राम शिक्षा समिति को प्रत्यायोजित कर सकती है।

निधियाँ

4·29 यह समिति जिला परिषद से तथा विभिन्न योजनाओं के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अनुदान प्राप्त करेगी। यह विभिन्न एजेंसियों से उद्दिष्ट निधियाँ, स्वैच्छिक दान तथा दान भी प्राप्त कर सकती है और कर संबंधी अधिकारों के जरिए अपनी धनराशि एकत्रित कर सकती है।

संगठनात्मक सहायता

4.30 इस स्तर पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी पंचायत समिति को सौंप दी जाएगी। तथापि, कर्मचारियों पर इसका नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा- निर्देशों के अध्यधीन होगा तथा शिक्षा संबंधी पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा अपनाए गए शैक्षिक मानदंड राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा जारी समग्र निर्देशों के अध्यधीन होंगे ।

4.31 शिक्षा संबंधी पंचायत समिति को स्थायी समिति के सदस्यों को सौंपे गए कार्यों को प्रभावी रूप से निष्पादित करने हेतु अपने आपको तैयार करने के लिए प्रबोधन जरूरी होगा। उन्हें अपने कार्य में मार्गदर्शन हेतु विभिन्न स्तरों के अधिकारियों तथा राज्य स्तर के नेतृत्व के साथ घनिष्ट सम्पर्क स्थापित करना होगा। समिति के अनिर्वाचित सदस्यों को भी प्रबोधन की आवश्यकता होगी ताकि वे अन्यों के साथ मैत्री- भाव से कार्य कर सकें। विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अधिकारियों एवं स्वयंसेवियों के लिए प्रशिक्षण जरूरी होगा।

जिला परिषद स्तर

4.32 अधिनियम के अनुसार, नगर पालिका क्षेत्रों को छोड़कर जिला परिषद में पूरा जिला शामिल होगा।

शिक्षा संबंधी जिला परिषद की स्थायी समिति

4.33 जिला परिषद अपने अधिकार क्षेत्र का शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंध के लिए पंचायती राज विधान के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में शिक्षा संबंधी स्थायी समिति का गठन कर सकती है। स्थायी समिति का कार्यकाल जिला परिषद के कार्यकाल के अनुरूप होगा ।

संरचना

4.34 स्थायी समिति की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है। समिति में कम से कम 15 और अधिक से अधिक 21 सदस्य होंगे जिसमें कम से कम एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति में अभिभावक-शिक्षक संघ से एक अभिभावक तथा गैर- सरकारी संगठनों और शिक्षकों का एक-एक प्रतिनिधि भी होगा। पंचायत/गाँव स्तर और पंचायत समिति स्तर के कम से कम दो प्रतिनिधि भी समिति में चक्रानुक्रम में नामित किए

जा सकते हैं । समिति में एक कालेज के प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय के एक शिक्षा प्रोफेसर या एक कालेज शिक्षक, जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रधानाचार्य तथा एक स्कूल काम्प्लेक्स या माध्यमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक भी होंगें। जिला परिषद के मुख्य शिक्षा अधिकारी समिति के सदस्य- सचिव होंगे। अनिर्वाचित सदस्यों के नामांकन का अधिकार जिला परिषद के पास रहेगा ।

भूमिका-

4·35 शिक्षा संबंधी जिला परिषद (स्थायी) समिति की भूमिका कुल मिला कर जिले में माध्यमिक स्तर तक के सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रबंध एवं निरीक्षण से सम्बद्ध होगी। समिति पूरे जिले में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के विकास हेतु योजनाएँ तैयार करेगी और उनका कार्यान्वयन करेगी। यह जिले में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की प्रगति की पुनरीक्षा करेगी तथा पूर्ण साक्षरता और प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने और उनके आयोजन के लिए भी विशेष रूप से उत्तरदायी होगी।

कार्य -

4·36 जिला परिषद माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों की स्थापना और उनका प्रबंध कर सकती है। यह माध्यमिक स्तर तक के सहायता प्राप्त स्कूलों का निरीक्षण करेगी तथा उन्हें अनुदान प्रदान करेगी और

जिले के माध्यमिक स्तर तक की सभी संस्थाओं का शैक्षिक निरीक्षण करेगी। यह समिति माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उनके समन्वय के लिए भी उत्तरदायी होगी। समिति प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा प्रौढ शिक्षा के विशेष संदर्भ में जिले में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की प्रगति की पुनरीक्षा करेगी।

4·37 समिति के महत्वपूर्ण कार्यों में, शिक्षा संबंधी पंचायत समिति की स्थायी समिति तथा पंचायत/ग्राम स्तर पर शिक्षा समितियों को उनके कार्यों में मार्गदर्शन देना और उनका पर्यवेक्षण संबंधी कार्य होगा। समिति शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करेगी ।

अधिकार

4·38 समिति के अधिकारों में सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप स्टाफ की भर्ती तथा नियुक्ति, वेतन की अदायगी सहित माध्यमिक स्तर तक स्कूलों की स्थापना और रख-रखाव शामिल है। माध्यमिक स्तर तक के सभी वर्तमान स्कूलों को जिला परिषद के नियंत्रण में अंतरित किया जाएगा। भविष्य में राज्य क्षेत्र में सभी माध्यमिक स्कूल केवल जिला परिषद द्वारा स्थापित किए जाएंगे। समिति सरकारी नियमों के अनुसार सहायता प्राप्त स्कूलों को अनुदान भी देगी। यह माध्यमिक स्तर तक निजी स्कूलों सहित सभी स्कूलों का शैक्षणिक पर्यवेक्षण भी करेगी। समग्र विभागीय तथा सरकारी पर्यवेक्षण के तहत शैक्षिक तथा प्रशासनिक मापदण्डों और प्रक्रियाओं के निर्धारण का कार्य भी समिति के सीमा क्षेत्र में आ सकता है। यह समिति पंचायत समितियों और पंचायत/ग्राम शिक्षा समितियों के कार्य में मार्गदर्शन करेगी। यह सरकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्यधीन अपने नियंत्रण के तहत आने वाले स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती तथा नियुक्ति कर सकती है। समिति जिला परिषद के अनुमोदनार्थ शिक्षा बजट और योजनाओं को तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। जिला शिक्षा निधियों का प्रशासन उसका उत्तरदायित्व होगा। जिले के लिए शैक्षिक विकास के लिए संदर्शी योजना को तैयार करना समिति का उत्तरदायित्व होगा।

निधियां

4·39 जिला परिषद के संसाधनों में राज्य सरकार से, राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्राप्त तथा प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त अनुदान और अन्य स्वैच्छिक अभिकरणों से प्राप्त धन शामिल होगा। जिला परिषद उपयुक्त कराधान तरीकों के जरिए भी संसाधन जुटा सकते हैं तथा स्वैच्छिक दान और अंशदान द्वारा भी निधियां जुटा सकते हैं।

संगठनात्मक सहायता

4·40 जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के स्टाफ की सेवाएं जिला परिषद को सौंप दी जाएगी। राज्य सरकार, विशेषतौर पर शिक्षा विभाग, जिला परिषद को उनके शैक्षिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रशासनिक और शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

4·41 पंचायती राज निकायों, शिक्षा की कोटि में सुधार लाने के प्रयासों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान शैक्षिक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुस्थापना के संगठन के जरिए पंचायती राज की शैक्षिक विंगों के कार्यकरण में और सर्वेक्षणों, मूल्यांकन अध्ययनों और नवाचारी परियोजना शुरू करके पूर्णतः शामिल होंगे। यह सहायता अध्ययन के न्यूनतम स्तरों के प्रापण के लिए अध्ययन के उन्नत तरीकों तथा मूल्यांकन पद्धतियों को सूचीबद्ध करेगी।

प्रशिक्षण अपेक्षाएं

4·42 जिला परिषद के गैर- सरकारी सदस्यों को जिला परिषद के कार्यों से परिचित होने के

लिए प्रबोधन शुरू करना अपेक्षित होगा। वे विभिन्न सतत योजनाओं तथा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, प्रौढ शिक्षा और गैर- औपचारिक शिक्षा जैसे कार्यक्रमों में भी पर्याप्त प्रबोधन प्राप्त करेंगे। जिला परिषदों में कार्यरत्त अधिकारियों को भी प्रशिक्षण की जरूरत पड सकती है जिससे कि वे समिति और जिला परिषद के सदस्यों के साथ कारगर कार्यकारी संबंध स्थापित करने में समर्थ हो सकें।

4.43. अब यह सुविदित है कि गैर- सरकारी तथा सरकारी सदस्य जो शिक्षा से संबंधित पंचायती राज कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, उन्हें नई पद्धति में अपने उत्तरदायित्व को कारगर ढंग से पूरा करने के लिए प्रबोधन ,प्रशिक्षण और तैयारी अपेक्षित है । पंचायती राज प्रणाली में कार्यकरण के ठोस और सजग तरीकों को विकसित करने के लिए उन्हें परामर्श,मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता पडेगी।

कार्मिक प्रबंध

4.44 प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण कर्मचारियों को पंचायती राज निकायों के को इंगित करता है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह ऐसे तरीके और ऐसे सुरक्षा उपायों के साथ किया जाए जिससे ये कर्मचारी एक अनुकूल और मैत्रीपूर्ण वातावरण में कार्य करने में समर्थ हो सकें।

4.45 इस पद्धति का अनुसरण करते हुए, सरकारी प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ को पंचायती राज संस्थाओं में स्थानांतरित करते समय उन्हें समझा जाए। ऐसा करते समय उनकी सेवा शर्तों की सुरक्षा करना अपेक्षित है। भविष्य में पंचायती राज निकायों के अधीन स्कूलों में सभी शिक्षण कर्मचारियों जिनका चयन और आवंटन, जिला स्तर के एक उपयुक्त संगठन द्वारा किया गया हो, को पंचायती राज निकायों द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वे उनके एक मात्र नियंत्रण में होंगे ।

4.46 पंचायती राज निकायों के अधीन स्टाफ, चाहे उनके द्वारा नियुक्त किया गया हो या अन्यथा एक समान सेवा शर्तों और लाभों से लाभान्वित होगा।

4.47 सरकारी स्कूलों के गैर-शिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों को उन अन्य विभागों के कर्मचारियों के सादृश्य समझा जाए जिनके उत्तरदायित्व और सेवाएं पंचायती राज निकायों को स्थानांतरित समझी जाएगी ।

4.48 जिला स्कूल निरीक्षक, माध्यमिक स्कूलों के मुख्यअध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी और उप निदेशक जैसे शिक्षा अधिकारी जो पंचायती राज निकायों के नियंत्रण में आ सकते हैं, उन्हें या तो प्रतिनियुक्ति पर अथवा इन निकायों की सेवा में ऋण पर माना जा सकता है। अनुशासन सहित पंचायतीराज निकायों का इन पर पूर्ण नियंत्रण होगा, इसमें अनुशासन भी शामिल है, बशर्ते कि

राज्य सरकार द्वारा इसके लिए ऐसे दिशा निर्देश निर्धारित हों ।

शिक्षकों की भर्ती

4·49 शिक्षकों की भर्ती एक संवेदनशील और ज़िम्मेदारी का काम है। राज्य सरकार उपयुक्त भर्ती प्रणाली विकसित कर सकती है जिसमें जहां अपेक्षित हो, राज्य लोक सेवा आयोग की भागेदारी हो सकती है। इसका मकसद जिला परिषद के उपयुक्त प्रतिनिधित्व सहित उपयुक्त निकायों के जरिए जिला स्तर पर शिक्षकों की भर्ती को विकेन्द्रीकृत करना होना चाहिए। इस पद्धति में सुनिर्धारित पद्धतियों के जरिए निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिसमें निर्धारित श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण का प्रावधान हो। भिन्न- भिन्न पंचायत समितियों को उम्मीदवारों का आवंटन करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय उम्मीदवारों को वरीयता दी जाए। इससे अनुवर्ती स्थानांतरणों की समस्या को कम किया जा सकेगा।

वेतन का संवितरण

4·50 स्टाफ को वेतन की तत्काल और नियमित अदायगी महत्ता का विषय है। राज्य सरकार यह शर्त रखें कि पंचायती राज निकाय अपने बजट संबंधी नियंत्रण में तंत्रों को लागू करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूलों में शिक्षण और गैर- शिक्षण स्टाफ को वेतन और सेवा लाभ नियमित और तत्काल तरीके से दिया जा सके ।

राज्य सरकार की भूमिका

4·51 राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इन सिफारिशों को उपयुक्त रूप से अनुकूल बना सकती हैं ।

4·52 हालांकि पंचायती राज निकाय उपर्युक्त निर्दिष्ट कार्यों को कर सकते हैं, किन्तु विशेष तौर पर निम्नलिखित मुद्दों के सम्बन्ध में राज्य सरकारअथवा उपयुक्त राज्य स्तर का निकाय समग्र पर्यवेक्षण करेगी और शेष अधिकार अपने पास रखेगी। राज्य सरकारों को विशेषतौर से निम्नलिखित मुद्दों से सम्बंध होगा :-

1· शैक्षिक कैलेन्डर, शिक्षक छात्र अनुपात आदि सहित शैक्षिक स्तरों और मानकों का निर्धारण करना ।

2·पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्याओं को तैयार करना

3·पाठ्य पुस्तकें, अनुपूरक पठन सामग्रियाँ तैयार करना और उनका निर्धारण।

4·सार्वजनिक, छात्रवृत्ति और अन्य परीक्षाओं का आयोजन करना ।

5·शिक्षक प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण ।

6·शैक्षिक नवाचार और समग्र पर्यवेक्षण और मूल्यांकन ।

7·प्रशासनिक मानदण्ड शुल्क का मान, शुल्क में रियायत ।

8·शिक्षकों के स्थानांतरण, और अनुशासनात्मक नियंत्रण इत्यादि के लिए मानदण्ड

9·पंचायती राज निकायों के शैक्षिक कार्यकलापों का आवधिक अनुश्रवण करना और उनके कुशल कार्यकरण के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करना ।

10·रा0शै0अ0और प्र0 परिषद, एस0आई0ई0, जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि जैसे संगठनों और संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध जिससे कि शैक्षिक मानकों और स्टाफ विकास में सुधार लाया जा सके ।

राज्य शैक्षिक कैलेंडर तैयार करने, परीक्षाओं के आयोजन, विभाग के समग्र मार्गदर्शन में शैक्षिक पर्यवेक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज निकायों को चरणबद्ध तरीके से अधिकार प्रत्योजित करने पर विचार कर सकता है।

वित्तीय सहायता

योजनेत्तर अनुदान

4.52 राज्य वित्त आयोग का गठन होने तक, पंचायती राज निकायों को प्रदत्त अनुदान में निम्नलिखित योजनेत्तर अनुदान शामिल हो सकते हैं :-

1. शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ को वेतन और अन्य लाभ प्रदान करना । इसमें दो घटक शामिल होंगे :

क) जिला परिषद को अंतरित सरकारी स्कूलों के लिए घटक ।

ख) जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए घटक ।

2. अनुरक्षण अनुदान :- इसमें भवन, उपस्कर, पुस्तकालय, के अनुरक्षण की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता शामिल हो सकती है। पुनः इसके भी दो घटक हो सकते हैं जो इनसे संबंधित हैं :

(क) जिला परिषदों को अंतरित सरकारी स्कूल , और

(ख) निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सहायता वाले स्कूल ।

विकास अनुदान (योजनागत)

4.53 इसमें ये शामिल हो सकते हैं :-

(I) स्टाफ के लिए वेतन घटक सहित नए स्कूल खोलने के लिए प्रावधान।

(II) विद्यमान और नए स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण हेतु प्रावधान।

(III) विद्यमान और नए स्कूलों में उपस्कर और शिक्षण अध्ययन सहायक सामग्रियों की खरीद के लिए प्रावधान।

(IV) आपरेशन ब्लैक बोर्ड, आदि जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत सहायता।

(V) पुस्तकालयों, विज्ञान शिक्षण, खेल, आदि में सुधार लाने के लिए स्कूलों संबंधी राज्य योजनाओं के तहत सहायता ।

(VI) छात्रवृत्तियों, शिक्षावृत्तियों, आदि के लिए प्रावधान ।

4.54 मूल उद्देश्य है कि शिक्षा के प्रबंध के लिए उन सभी निधियों का जिला परिषद को हस्तान्तरण जो फिलहाल जिला स्तर पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त प्रावधानों के होने के बावजूद सरकार को जिला परिषदों को अपने प्रयासों के समर्थन हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने का अधिकार देना होगा।

विशेष अनुदान

4.5.6 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिला परिषदों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किया जाएगा जिससे कि विषमताओं का कम किया जा सके।

प्रोत्साहन अनुदान

4.5.7 उन जिला परिषदों के लिए सदृश अनुदान के प्रावधान की जरूरत है जो उत्तम निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अच्छा कार्य करती हैं।

बजट

4.5.8 पंचायती राज निकायों के लिए निधियों के आवंटन की उपलब्धि करने के राज्य बजट दस्तावेज को उपयुक्त ढंग से पुनः तैयार किया जाना चाहिए। शैक्षिक बजट में प्रत्येक उपयुक्त शीर्ष अधिमानतः जिला-वार आवंटनों का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा, यदि संभव हो, तो वह पंचायती राज निकायों को सौंपे गए विभिन्न शैक्षिक प्रकार्यों के अनुसार होना चाहिए।

अतिरिक्त संसाधन जुटाना

4.5.9 जिला परिषद और पंचायत समिति को उपयुक्त रूप से यह अधिकार प्राप्त हो कि वे निम्नलिखित के जरिए से शैक्षिक कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटा सकें :-

1. भू-राजस्व, बिक्रीकर, उत्खनन आदि पर उपकर की उगाही।
2. भवन कर, व्यवसाय कर आदि पर अधिभार की उगाही।
3. छात्रों को लाभान्वित करने की विभिन्न योजनाओं में स्थानीय अंशदान।
4. शैक्षिक संस्थाओं के विकास हेतु सहायता के लिए अभिभावकों तथा समुदाय द्वारा स्वैच्छिक अंशदान

4.6.0 इसका उद्देश्य विकास कार्यों को शुरू करने के लिए स्थानीय संसाधनों को जुटाने के लिए स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करना और राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता का सम्पूर्ण करना होना चाहिए। पंचायती राज निकायों को चाहिए कि वे लागत की दृष्टि से प्रभावकारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें।

वित्तीय विवक्षा

4.6.1 यह एक मानी बात है कि स्थानीय निकायों की संसाधन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनमें से अधिकांश राज्य सरकार और अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर निर्भर हैं। उनमें से बहुत कम स्वयं अपने सीमा क्षेत्र के तहत आय स्रोतों का पता लगा सके और विकसित कर सके। यह भी एक तथ्य है कि परम्परा और व्यवहार से उन्होंने अपने संसाधन जुटाने के लिए प्रयास नहीं किए हैं। कालान्तर में उन्होंने एक ऐसी प्रवृत्ति और दृष्टिकोण विकसित कर लिया है

जिसके अंतर्गत वे मूलतः बाहरी सहायता पर निर्भर रहते हैं । अतः यह आवश्यक होगा कि पंचायती राज निकाय उनमें एक नया दृष्टिकोण पैदा करें जो उन्हें अपने जुटाने और बाहरी वित्त पोषण तथा सहायता पर उनकी निर्भरता धीरे-धीरे कम करने के पक्ष में हो । उनकी कार्यशैली में कुशलता और लागत प्रभावकारिता लाने की भी जरूरत है ।

4.62 हालांकि ये परिवर्तन कालान्तर में ही आ सकते हैं । इस बीच, पंचायती राज निकायों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए बिना उन्हें शिक्षा का प्रबंध हस्तांतरित करना एक हानिकर कदम होगा । शिक्षा कार्यक्रमों का सफल प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करनी है । उत्तरदायित्वों के अंतरण के साथ-साथ, वे निधियां पंचायती राज निकायों को अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिनसे राज्य सरकार ऐसे उत्तरदायित्वों को निभाया करते थे ।

4.63 स्कूल अवस्थापना संबंधी विकट कमियों को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाने जरूरी हैं । अतः, सरकार पंचायती राज और नगरपालिका निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के विकास तथा रख-रखाव के लिए पृथक से कोई वित्तीय संस्था स्थापित करने हेतु विचार करें । इससे इन निकायों को उन अधिकारों को अन्तरित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा जिनकी उन्हें बहुत आवश्यकता है ।

4.64 नगरपालिकाओं के क्षेत्र, जनसंख्या तथा संसाधनों में एक राज्य से दूसरे राज्य में और साथ ही राज्य के अंदर काफी अंतर है । नगरपालिकाओं को सौंपे जाने वाले शैक्षिक प्रबंध के उत्तरदायित्वों में प्रत्येक नगरपालिका निकाय की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अंतर करना पड़ेगा । इस प्रयोजन के लिए मोटेतौर पर कोई पद्धति निर्धारित करना कठिन होगा जैसा कि शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज निकायों के मामले में किया गया है । मोटे तौर पर राज्य नगरपालिकाओं को उनके अधिकार क्षेत्र, संसाधनों और क्षमताओं के अनुसार तीन कोटियों में वर्गीकृत कर सकते हैं । प्रथम कोटि में उन नगरपालिकाओं को शामिल किया जा सकता है जिन्हें प्राथमिक स्तर तक शिक्षा के प्रबंध का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है, दूसरी कोटि को अपर प्राइमरी स्तर तक शिक्षा के प्रबंध का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है और तीसरी कोटि में वे नगर पालिकाएं रखी जा सकती हैं जिन्हें माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का नियंत्रण दिया जा सकता है ।

..../-

4.65 नगर पालिकाएं उन्हें सौंपी गई शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंध तथा अन्य उत्तरदायित्वों के लिए शिक्षा संबंधी समितियां गठित कर सकती है । इन समितियों में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के अलावा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु भी व्यवस्था की जा सकती है । समिति के सदस्यों में कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य होने चाहिए । नगर पालिका का मुख्य शिक्षा अधिकारी या उसके द्वारा नामित कोई अधिकारी समिति का सदस्य - सचिव हो सकता है । ये समितियां अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शिक्षा कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगी ।

कार्य

4.66 वे भर्ती के मामलों को छोड़कर, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट संगठनों द्वारा किया जाएगा, स्टाफ पर नियंत्रण रखेंगे।

4.67 नगर पालिका क्षेत्रों में सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता उन नगरपालिकाओं के माध्यम से दी जा सकती है जिनके पास इस कार्य को शुरू करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं।

4.68 यह संभव है कि कुछ नगर पालिकाओं ने व्यवहार्य प्रबंध ढाँचे बना लिए हैं जिनमें और

स्टाफ भी शामिल हैं। ऐसे मामलों में, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्यधीन नगरपालिका क्षेत्रों में संस्थाओं के शैक्षिक पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा जा सकता है।

4.69 जबकि नगरपालिकाएं अपने अधिकार क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं, उनको योजनाओं का समन्वय पूरे जिले के लिए जिला-परिषद द्वारा किया जाएगा। नगर पालिकाएं अपने अधिकार क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने तथा पूर्ण साक्षरता को बढ़ावा देंगी ।

4.70 राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नगरपालिकाओं के कार्यकरण की समय-समय पर पुनरीक्षा कर सकती हैं तथा धीरे- धीरे जैसे ये अनुभव प्राप्त करेंगे, वे उपयुक्त वित्तीय एवं स्टाफ संबंधी सहायता से अपने उत्तरदायित्वों में बढ़ोतरी कर सकती हैं ।

प्रशासनिक सहायता

4.71 नगरपालिकाओं को स्थानान्तरित स्कूलों के कर्मचारी तथा नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए मुख्यालय के कर्मचारी प्रशासनिक सहायता प्रदान करेंगे !

प्रशिक्षण

4.72 नगरपालिका शिक्षा समिति के सदस्यों तथा उसमें कार्यरत कर्मचारियों को प्रबोधन/प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि वे अपने-अपने उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकें। शिक्षा की कोटि में सुधार के लिए नगरपालिकाएं जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के संसाधन जुटा सकती हैं। राज्य सरकार नगरपालिकाओं के गैर- सरकारी तथा सरकारी सदस्यों के लिए जिन्हें शिक्षा के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन कर सकती है।

निधियाँ

4.73 राज्य सरकार इन निकायों को, उन्हें स्थानान्तरित संस्थाओं के प्रबंध हेतु पर्याप्त अनुदान प्रदान कर सकती है । वे नगरपालिका क्षेत्रों में योजनागत कार्यक्रमों के लिए भी विकासात्मक अनुदान प्रदान कर सकती है । इन अनुदानों के अलावा, नगरपालिकाएं समुचित कर संबंधी उपायों के जरिए अपने संसाधन जुटा सकती हैं।

परिशिष्ट-I

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग, आदेश सं. एफ. 3-1/93-पी. एन-1
दिनांक 2 फरवरी 1993 की प्रति

कार्रवाई योजना 1992 में शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (के. शि. स. बो) समिति गठित करने की व्यवस्था है।

2. अतः मानव संसाधन विकास मंत्री ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते, निम्नलिखित समिति गठित की है :

(I)	श्री एम. वीरप्पा मोइली मुख्य मंत्री कर्नाटक	अध्यक्ष
(II)	डा० (श्रीमती) चित्रा नाइक सदस्य (शिक्षा) योजना आयोग	
(III)	श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर शिक्षा मंत्री केरल	
(IV)	डा० सी अरंगानयंगम शिक्षा मंत्री तमिलनाडु	
(V)	श्री एस. एस. चक्रवर्ती शिक्षा मंत्री, पश्चिमी बंगाल	
(VI)	श्री चैतन्य प्रसाद माझी शिक्षा मंत्री उड़ीसा	
(VII)	डा० भूमि धर बर्मन शिक्षा मंत्री, असम	

VIII) डा० कृष्ण दास सोनेरी
शिक्षा मंत्री,
गुजरात

IX) श्री सुधीर राय, एम. पी.
(सदस्य, के. शि. स. बो.)

X) डा० सैयद हसन
निदेशक
इन्सान स्कूल/कालेज
किशन गंज, पूर्णिया (बिहार)
सदस्य, के. शि. स. बो.

XI) प्रोफेसर मृणाल मिरि
दर्शनशास्त्र विभाग
उत्तरी पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय
शिलांग
(सदस्य, के . शि. स. बो.)

XII) श्री पी. के. उमाशंकर,
पूर्व निदेशक, आई. आई. पी. ए.
नई दिल्ली
(अध्यक्ष, शिक्षा प्रबन्ध पर कार्यदल)

XIII) श्री एस. आर. शंकरन
पूर्व सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

XIV) श्री वी. बी. एल. माथुर
राजस्थान के राज्यपाल के सलाहकार
जयपुर

XV) सचिव
विधि कार्यकलाप विभाग

XVI) सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

XVII) [illegible]
शहरी विकास विभाग

XVIII) डा० आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर सदस्य–सचिव
संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली

3. निदेशक (रा. शै. अ. प्र. प.), निदेशक (नीपा) केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, अपर सचिव (शिक्षा और सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे ।

4. आयोग के विचारार्थ विषय नीचे दिये गये है :
भारत के संविधान के संशोधन 72 तथा 73 को ध्यान में रखते हुए जिला, उप जिला और ग्रामीण स्तरो पर शिक्षा के प्रबन्ध के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं तैयार करना ।

5. समिति को अपनी प्रथम बैठक के तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

6. समिति अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं तथा कार्य प्रणाली निर्धारित करेगी ।

7. शिक्षा विभाग के योजना प्रभाग द्वारा समिति को सचिवालय सहायता और अन्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी ।

(टी. सी. जेम्स)
अवर सचिव, भारत सरकार

सं. एफ. 3-1/93-पी. एन. -1
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल, 1993

आदेश

विषय: शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में के. शि. स. बो. समिति

मानव संसाधन विकास मंत्री ने के. शि. स. बो. के अध्यक्ष होने के नाते दिनांक 2 फरवरी, 1993 के समसंख्यक आदेश द्वारा गठित शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में के. शि. स. बो. समिति के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन किए है :

(i) श्री नरहरि अमीन, शिक्षा मंत्री, गुजरात को डा० कृष्णा दास सोनेरी, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री गुजरात के स्थान पर समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

(ii) सचिव, श्रम मंत्रालय को भी समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

(टी. सी. जेम्स)
अवर सचिव, भारत सरकार

नई दिल्ली, 3 मई, 1993

आदेश

विषय: शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में के. शि. स. बो. समिति

मानव संसाधन विकास मंत्री ने, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (के. शि. स. बो.) के अध्यक्ष की हैसियत से इस मंत्रालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 फरवरी 1993 के द्वारा गठित की गई शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में के. शि. स. बो. समिति के सदस्य के रूप में श्री आर. डी. सोनकर, सलाहकार शिक्षा प्रभारी, उत्तर प्रदेश सरकार को नियुक्त किया है

(टी. सी. जेम्स)
अवर सचिव, भारत सरकार

नई दिल्ली, 17 अगस्त 1993

सं. एफ. 3-1/93-पी. एन-1
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1993

आदेश

विषय:- शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में के. शि. त. बो. समिति

मानव संसाधन विकास मंत्री ने के. शि. त. बो. के अध्यक्ष होने की हैसियत से दिनांक 2 फरवरी, 1993 के समसंख्यक आदेश द्वारा गठित की गई शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में के. शि. त. बो. समिति के गठन में, निम्नलिखित-परिवर्तन किए है :-

(i) डा0 बी. डी. बर्मन भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, असम के स्थान पर श्री जी. सी. राजबंशी शिक्षा मंत्री को असम समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

(ii) डा0 सी. अरंगनयगम, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु के स्थान पर श्री के0 पोन्नुस्वामी, शिक्षा मंत्री तमिलनाडु को नियुक्त किया जाता है ।

(टी. सी. जेम्स)
अवर सचिव, भारत सरकार

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1993

आदेश

विषय: शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में के. शि. स. बो. समिति

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 2-2-1993 का आंशि संशोधन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने के. शि. स. बो. के अध्यक्ष की हैसियत से श्री चैतन्य प्रसाद माझी, उच्च शिक्षा मंत्री, उड़ीसा सरकार के स्थान पर श्री प्रफुल्ल चन्द्र घदेई, स्कूल शिक्षा मंत्री, उड़ीसा सरकार को शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में के. शि. स. बो. समि के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है ।

(i) श्री नरहरि आमीन, शिक्षा मंत्री, गुजरात को डा0 करशनदास लोनेरी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, गुजरात के स्थान पर समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है

(ii) सचिव, श्रम मंत्रालय को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

(टी. ती. जेम्स)
अवर सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट-।।

शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में
के. शि. सं. बो. समिति के सदस्यों को
भेजे गए दस्तावेजों की सूची

मूलभूत पाठ्यपुस्तकें

ख-1 संविधान (बहत्तरवाँ संशोधन) विधेयक 1991

ख-2 संविधान - (तिहत्तरवाँ संशोधन) विधेयक 1991

ख-3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (संशोधित 1992)

ख-4 कार्रवाई योजना (1992) प्रबन्ध शिक्षा पर अध्याय

ग श्रेणियाँ : कोर ग्रुप द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज

ग-1 पंचायती राज निकाय और विकास : क परिप्रेक्ष्य

ग-2 आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज निकायों का अनुभव

ग-3 पंचायती राज संस्थाओं के तहत शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में इसकी सिफारिशें तैयार करते समय के. शि. स. बो. समिति द्वारा विचार किए जाने वाले मुद्दे ।

ग-4 आंध्र प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना, भूमिका और कार्य ।

ग-5 गुजरात में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना, भूमिका और कार्य ।

ग-6 कर्नाटक में पंचायती राज संस्थाओं का गठन, भूमिका तथा कार्य

ग-7 महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं का गठन, कार्य तथा भूमिका

घ श्रेणियाँ : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के दस्तावेज

घ-1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 - कार्यान्वयन कार्यनीतियाँ (प्रबन्ध शिक्षा पर पिछली के. शि. स. बो. समिति के लिए मसौदा प्रणाली काम कागज़ात)

घ-2 शिक्षा के प्रबन्ध के संबंध में के. शि. स. बो. समिति की उप समिति की रिपोर्ट

घ-3 विकेन्द्रीकरण और सहभागी प्रबन्ध (शिक्षा विभाग द्वारा नीति के सम्बन्ध में के. शि. स. बो. को प्रस्तुत एक विवरण

ट श्रेणियाँ: पंचायती राज के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, हैदराबाद द्वारा प्रकाशित दस्तावेज

ट-1 पंचायती राज पर मुख्य रिपोर्टों का सार

ट-2 पंचायती राज अधिनियमों की मुख्य विशेषताएं

ट-3 संरचनात्मक पैटर्न

त श्रेणियाँ : कुछ देशों में शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में कागजात

त-1 अनुकूलात्मक के प्रति: पैट्रीसिया ब्रोडफुट द्वारा इंगलैंड तथा फ्रांस में निगम प्रबन्ध का शैक्षिक नियंत्रण और वि

त-2 अंग्रेजी शिक्षा में नियंत्रण के साधनों के रूप में वित्त प्रबन्ध स्लन क्रिस्पीन द्वारा केन्द्रीयकरण के प्रति हाल ही की प्रवृत्तियाँ

त-3 शैक्षिक परिवर्तन और नियंत्रण प्रश्न: जॉन लाउग्लो द्वा स्केन्द्रनेविंग परिप्रेक्ष्य

त-4 मार्क ब्रेग द्वारा पपुआ न्यू गुनिआ में शैक्षिक अवसरों की समानता तथा विकेन्द्रीकरण ।

त-5 उत्तरी नाइजेरिया में शिक्षा का विकेन्द्रीकरण: डेविड स्टीफन द्वारा ततः अप्रत्यक्ष नियम का मामला ।

श्रेणियाँ : अध्यक्ष के संप्रेषण के संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन की टिप्पणियाँ

- -1 आंध्र प्रदेश सरकार की टिप्पणियाँ
- -2 चंडीगढ़ प्रशासन की टिप्पणियाँ
- -3 दमन और दीव प्रशासन की टिप्पणियाँ
- -4 दादर और नगर हवेली प्रशासन की टिप्पणियाँ
- -5 गोवा सरकार की टिप्पणियाँ
- -6 गुजरात सरकार की टिप्पणियाँ
- -7 हिमाचल प्रदेश सरकार की टिप्पणियाँ
- -8 जम्मू और कश्मीर सरकार की टिप्पणियाँ
- -9 कर्नाटक सरकार की टिप्पणियाँ
- -10 महाराष्ट्र सरकार की टिप्पणियाँ
- -11 उड़ीसा सरकार की टिप्पणियाँ
- -12 पांडिचेरी प्रशासन की टिप्पणियाँ
- -13 पंजाब सरकार की टिप्पणियाँ
- -14 राजस्थान सरकार की टिप्पणियाँ
- -15 सिक्किम सरकार की टिप्पणियाँ
- -16 उत्तर प्रदेश सरकार की टिप्पणियाँ

ओ. डी. श्रेणियाँ : अन्य दस्तावेज

ओ. डी. -1 "... ओपुल" स्वर्गीय प्रधान मंत्री का भाषण

ओ. डी. -2 समिति के विचार के लिए सैयद शाहबुद्दीन, संसद सदस्य के सुझाव ।

ओ. डी. -3 उड़ीसा शिक्षा अधिनियम 1969

ओ. डी. -4 गोवा, दमन और दीव सरकार का शिक्षा अधिनियम 1984

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (संशोधित 1992)

सार

भाग x

शिक्षा का प्रबंध

10.1 शिक्षा की आयोजना और प्रबन्ध की व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी । इस संबंध में जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जायेगा वे निम्नलिखित है :-

(क) शिक्षा की आयोजना और प्रबन्ध का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना और उसे देश की विकासात्मक और जन-शक्ति विषयक आवश्यकताओं से जोड़ना,

(ख) विकेन्द्रीकरण तथा शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना,

(ग) लोक-भागीदारी को प्रधानता देना, जिसमें गैर-सरकारी एजेंसियों का जुड़ावा तथा स्वैच्छिक प्रयास शामिल हैं,

(घ) शिक्षा की आयोजना और प्रबन्ध में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को शामिल करना,

(ङ) प्रदत्त उद्देश्यों और मानदण्डों के संबंध में जवाबदेही (अकाउंटेबिलिटी) के सिद्धान्त की स्थापना ।

राष्ट्रीय स्तर

10.2 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन संबंधी देखरेख में निर्णायक भूमिका अदा करेगा । वह उपयुक्त समितियों एवं मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क तथा समन्वयन के लिए बनाए गए प्रक्रमों के माध्यम से कार्य करेगा । केन्द्र तथा राज्यों के शिक्षा विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिए इनमें व्यावसायिक दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को लाया जाएगा ।

भारतीय शिक्षा सेवा

10.3 शिक्षा के प्रबंध के उपयुक्त ढांचे के निर्माण के लिए तथा इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए यह आवश्यक होगा कि भारतीय शिक्षा सेवा का एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन किया जाये। इस सेवा से संबंधित बुनियादी सिद्धान्तों, कर्तव्यों, तथा नियोजन की विधि की बाबत निर्णय, राज्य सरकारों के परामर्श से किया जायेगा।

राज्य स्तर

10.4 राज्य सरकारें, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह के राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करेंगी। मानव संसाधन विकास से संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के समाकलन के लिए कारगर उपाय किए जाने चाहिएं।

10.5 शैक्षिक आयोजकों, प्रशासकों और संस्थाओं के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए मुनासिब चरणों में संस्थागत प्रबन्ध किए जाने चाहिएं।

जिला तथा स्थानीय स्तर

10.6 उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का प्रबंध करने के लिए जिला शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जाएगी तथा राज्य सरकारें यथाशीघ्र इस संबंध में कार्रवाई करेंगी। शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों पर आयोजना, समन्वयन, मानिटरिंग तथा मूल्यांकन में केन्द्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर की एजेंसियां सहभागिता निभायेंगी।

10.7 शिक्षा व्यवस्था में संस्थाध्यक्षों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उनके चयन तथा प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। लचीला रवैया अपनाते हुए विद्यालय संगमों (स्कूल काम्पलेक्सेज) को विकसित किया जाएगा ताकि वे शिक्षा संस्थाओं के आपसी तानेबाने (नेटवर्क) का माध्यम बनें, तथा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने और उनके द्वारा कर्तव्यनिष्ठा के मानदंडों के पालन में सहायक हों। साथ ही विद्यालय संगमों के द्वारा, संबंधित संस्थाओं के लिए अनुभवों का आपसी आदान-प्रदान करना, तथा एक दूसरे की

सुविधाओं में साझेदारी का रिश्ता बनाना संभव हो सके । यह अपेक्षा की जा सकती है कि विद्यालय संगमों की व्यवस्था के जमने के साथ व निरीक्षण कार्य का ज्यादातर जिम्मा संभाल लेंगे ।

10.8 उपर्युक्त निकायों के माध्यम से स्थानीय लोग विद्यालय सुधार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे ।

स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सहायता प्राप्त संस्थाएँ

10.9 गैर-सरकारी तथा स्वच्छिक प्रयासों को, जिसमें समाजसेवी सक्रिय समुदाय भी शामिल है, प्रोत्साहन दिया जाएगा और वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी, बशर्ते कि उनकी प्रबंध व्यवस्था ठीक हो । इसके साथ ही ऐसी संस्थाओं को रोका जाएगा जो शिक्षा को व्यापारिक रूप दे रही हैं ।

शिकायतों का निराकरण

10.10 प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अनुरूप ही राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर शैक्षिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी ।

परिशिष्ट-1

कार्रवाई योजना

23. शिक्षा का प्रबन्ध

(सार)

1. शैक्षिक प्रबन्ध पद्धति

23.1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यापक है और इसमें विभिन्न विषयों तथा समस्याओं पर विविध प्रकार की कार्रवाई करने की परिकल्पना की गई है। फिर भी इसमें एक सम्पूर्ण और समन्वित प्रभाव लाने के लिए ऐसी कार्रवाई के संकेन्द्रित करने की अपेक्षा की गई है। इसका क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है अपितु इसका संबंध शीघ्र तथा सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए सामाजिक विकास के अन्य क्षेत्रों से भी है।

23.1.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का कार्य शैक्षिक प्रबन्ध पद्धति पर निर्भर करता है। कार्रवाई योजना की विस्तृत आयोजना और कार्यान्वयन को हासिल करने के लिए लचीली प्रबंध संरचनाओं तथा आयोजनाओं, प्रक्रियाओं और कार्य विधियों की आवश्यकता है।

23.1.3 भारत में शिक्षा पद्धति अधिकांशतः बजट-आधारित रही है जहाँ कुशलता को बजट की खपत और इसकी अधिक माँग करने की योग्यता द्वारा आंका जाता है। प्रारम्भ में कार्य-निष्पादन को कोई महत्वपूर्ण मानदण्ड नहीं माना गया है। अतः चालू आर्थिक सुधारों और संरचनात्मक आयोजनों में निवेश से हटकर निष्पादन तथा परिणामों की ओर ध्यान देने की जरूरत होगी। प्रभावीकरण पर विचार किए जाने की सूचना शैक्षिक प्रशासन तथा आयोजना के सभी स्तरों तक पहुँचाई जानी चाहिए।

23.1.4 प्रभावी विकेन्द्रीकरण के अभाव, प्राथमिकताएं तैयार करने तथा विषयोन्मुख कार्यक्रमों को जारी रखने की असमर्थता, कमजोर कार्मिक प्रबन्ध पद्धति, और अप्रभावी विभागांतर्गत तथा अन्तर-विभागीय समन्वयन

तंत्रों के कारण शिक्षा पद्धति के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति, परीक्षाओं के आयोजन तथा शैक्षिक कैलेण्डर के संचालन जैसे दिन-प्रतिदिन के कार्यों को उपयुक्त ढंग से नहीं किया जा रहा है। कार्रवाई-योजना में उच्चतम प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि दिन प्रतिदिन के ये कार्य उपयुक्त तरीके से किए जा रहे हैं और यह कि शिक्षा सेवाओं के संप्रेषण में सभी स्तरों पर सुधार हो रहा है।

23.1.5 कार्रवाई योजना 1986 को अपनाने के शीघ्र बाद ही, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शैक्षिक प्रबन्ध में सुधार करने के लिए उपायों की सिफारिश करने के वास्ते समितियाँ गठित की थी। इन समितियों ने राज्यों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट के प्रारूप तैयार किए। तथापि, जल्दी-जल्दी राजनीतिक परिवर्तनों के कारण इन अनेक उपायों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। अब कार्रवाई फिर से शुरू करना और इन उद्देश्यों पर शीघ्र कार्रवाई करना आवश्यक है।

23.1.6 इस अध्याय में केवल प्रबन्ध संबंधी विषयों को शामिल किया गया है जिसमें शिक्षा का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा शिक्षा के एक से अधिक उप-क्षेत्र शामिल है।

2. विकेन्द्रीकरण और जन सहभागिता

23.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना में सभी स्तरों पर शिक्षा की आयोजना तथा प्रबन्ध के विकेन्द्रीकरण और इस प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता के महत्व पर बल दिया गया है। विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय है जिला, उप-जिला तथा पंचायत स्तरों पर निर्णय लेने में लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की लोकतान्त्रिक सहभागिता। कार्रवाई योजना प्रावधान के अनुसरण में राज्य सरकारें विकेन्द्रकृत आयोजना तथा प्रबंध के लिए संरचनाएं तैयार करने के उपाय करती रही हैं। लागू होने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जाना होगा।

(क) संविधान (बहत्तरवाँ) संशोधन विधेयक, 1991

23.3.1 पंचायती राज संबंधी 1991 के संविधान (बहत्तरवाँ) संशोधन विधेयक में जिला, उप-जिला और पंचायत स्तरों पर लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए निकाय स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। ये निकाय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए आयोजनाएं तैयार करने के वास्ते जिम्मेवार होंगे। इस विधेयक में महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है।

23.3.2 संविधान की प्रस्तावित ग्यारहवीं अनुसूची में अन्य बातों के साथ-साथ पंचायती राज निकायों को निम्नलिखित सौंपने का प्रावधान है :

"प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ तथा गैर-औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, और सांस्कृतिक कार्यकलाप"।

पंचायती राज निकायों को शिक्षा से घनिष्ठ रूप से संबद्ध विषय अर्थात् स्वास्थ्य, कल्याण, महिला तथा बाल विकास भी सौंपे जाने हैं।

(ख) राज्य विधान

23.3.3 पंचायती राज विधेयक एक उपयुक्त विधान है। राज्यों को अपनी ओर से स्वयं के विधान तैयार करने हैं। इन राज्यों को ऐसे उपयुक्त विधान तैयार करने की आवश्यकता होगी जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पंचायती राज शिक्षा समितियों का प्रावधान अवश्य हो।

(ग) जिला स्तर के निकाय

23.3.4 इस विधान के अन्दर एक ऐसा जिला स्तर का निकाय गठित किया जाए, जिसकी गैर-औपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा सहित सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी हो। इस जिला निकाय में शिक्षाविदों,

महिलाओं, युवकों के प्रतिनिधित्व, अभिभावकों, अनुसू. जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और जिले की उपयुक्त संस्थाओं के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व होगा । शहरी निकायों और छावनियों के लिए भी जो शैक्षिक कार्यकलापों का आयोजन करते है, प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए । जिला निकाय को आयोजना की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए क्षेत्र विकास, स्थानिक आयोजना, संस्थागत आयोजना, प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण और कार्मिक प्रबन्ध शामिल होंगे । इस निकाय द्वारा जिला स्तर पर विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण किया जाएगा । जिला शैक्षिक आयोजनाओं में सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक श्रेणियों, विशेषरूप से अनु. जाति और अनु. जनजाति के विभिन्न आयु-वर्गों के लड़के-लड़कियों की सहभागिता तथा उन्हें बनाए रखने के स्तरों पर विचार किया जाएगा, और उनमें भौतिक बुनियादी सुविधाएं, उपयुक्त सुलभीकरण और शिक्षा के कोटिपरक पहलू सुनिश्चित करने के लिए उपायों की योजना तैयार की जाएगी ।

23. 3. 5 इस उद्देश्य से कि जिला निकाय आवंटित कार्य पूरा करते है विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य निधियाँ सौंपना आवश्यक होगा । जिला निकाय अपने संसाधन स्वयं जुटा सकें - इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी । अनिर्धारित निधियाँ भी इनको सुपुर्द की जाएगी ताकि अपनी ही बराबर की निधियाँ जुटाकर इन संसाधनों का उपयोग ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सके जिसे आवश्यकता समझा जाए ।

23. 3. 6 प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण और कार्मिक प्रबन्ध के लिए जिला स्तर के निकाय के साथ राज्य सरकार के संबंध की राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जानेवाले उपयुक्त दिशा-निर्देश में स्पष्ट व्याख्या की जाएगी । विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के संवर्गों की भर्ती और संरचना के स्तरों का स्पष्टीकरण करना भी आवश्यक होगा ।

23.3.7 स्कूलों के सभी स्तरों, प्रौढ़ तथा गैर-औपचारिक शिक्षा की देखभाल करने के लिए एक प्रमुख जिला शिक्षा अधिकारी होगा। उसके अधीन स्थापना, बजट तैयार करने, आयोजना और शैक्षिक आंकड़ा आधार की देखभाल करने वाला एक जिला शिक्षा अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त, विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बद्ध उपयुक्त रैंक के जिला स्तर के अधिकारी होंगे। प्रमुख शिक्षा अधिकारी जिला निकाय का मुख्य शिक्षा अधिकारी होगा।

23.3.8 जिला निकाय जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के सभी कार्यक्रमों में पर्याप्त पाठ्यचर्या एवं शैक्षिक निवेशों के लिए जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान, और अन्य संस्थाओं की विशेषज्ञता प्राप्त करेगा। यह जिले की उच्च शिक्षा संस्थाओं के सहयोग की भी अपेक्षा कर सकता है।

23.3.9 उन राज्यों तथा क्षेत्रों में, जहाँ संविधान (बहत्तरवाँ) संशोधन विधेयक, 1991 लागू नहीं होगा, जिला स्तर पर इसी प्रकार की रूप रेखा के आधार पर ऐसे निकाय गठित किए जाएँ।

(घ) ग्राम शिक्षा समिति

23.3.10 संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत, किसी गाँव अथवा गाँवों के समूह के लिए पंचायतें बनाई जाएंगी। इन पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा, प्रत्येक पंचायत एक ग्राम शिक्षा समिति गठित कर सकती है जो ग्राम स्तर पर शिक्षा के में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए जिम्मेवार होगी। इन ग्राम शिक्षा समितियों की प्रमुख जिम्मेवारी व्यवस्थित रूप से घर-घर सर्वेक्षण करके और अभिभावकों के साथ समय-समय पर चर्चा करके गाँव में सूक्ष्म स्तर की आयोजना तैयार करने तथा स्कूल मानचित्रण की होनी चाहिए। समिति का यह प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक परिवार में प्रत्येक बालक प्राथमिक शिक्षा में भाग लें। इन कार्यकलापों में उन्हें जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाएगा।

23.3.11 राज्य सरकारें ग्राम समिति को निम्नलिखित सौंपने पर विचार करें :-

ग्राम समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाना तथा उसे प्रोत्साहित करना जिसके साथ यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें सभी वर्गों के लोग भाग लेंगे ; और

स्कूलों और केन्द्रों के कारगर तथा नियमित कार्यकरण का निरीक्षण व प्रबन्ध करने के लिए शिक्षक अनुदेशक तथा समुदाय की सहभागिता बढ़ाना ।

ग्राम शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका और कार्य को देखते हुए, इसे उपयुक्त संविधिक और आवश्यक वित्तीय तथा प्रशासनिक प्राधिकार सौंपे जाने चाहिएं ।

(इ) मॉडल विधान

23.3.12 जब राज्य सरकारें पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत अपना विधान तैयार करें उनके मार्गदर्शन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मॉडल संविधिक प्रावधान तैयार करना आवश्यक होगा । चूंकि स्वास्थ्य, महिला तथा बाल विकास, समाज कल्याण जैसे अन्य क्षेत्र भी सम्बद्ध हैं, अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी व्यापक मॉडल विधेयक तैयार करने पर विचार करे जिसमें समन्वय प्राप्त करने के लिए ये सभी क्षेत्र शामिल हों । इसे संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और योजना आयोग के बीच सहयोग से किया जाए । इस मॉडल विधेयक को तैयार करने का कार्य तत्काल शुरू किया जाए क्योंकि इसकी, जब संविधान संशोधन विधेयक लागू होगा, राज्य सरकारों को आवश्यकता पड़ेगी ।

(च) शहरी स्थानीय निकाय

23.3.13 शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक में नगर निगमों, नगर परिषदों, तथा नगर पंचायतों के गठन का प्रावधान है । संविधान की प्रस्तावित बारहवी अनुसूची में इन निकायों को "सांस्कृतिक शैक्षिक और सौन्दर्य बोधात्मक पहलुओं के विकास" की जिम्मेवारी सौंपने का

प्रावधान है । इन निकायों को एक उपयुक्त राज्य विधान द्वारा शिक्षा क्षेत्र से संबंधित उपयुक्त सांविधिक जिम्मेवारियाँ सौंपी जाएंगी । मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्यों के विचारार्थ इस क्षेत्र में भी मॉडल विधान तैयार करे ।

4. स्वैच्छिक और गैर सरकारी एजेंसियों की सहभागिता

23.4.1 गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिशु देखभाल तथा शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विकलांग शिक्षा, आदि सहित प्रारंभिक शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए बुनियादी स्तर पर, लोगों की सहभागिता और इससे अधिक बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता दलों की सहभागिता की आवश्यकता होगी । सरकार और स्वैच्छिक एजेंसियों के बीच वास्तविक सहभागिता के संबंध को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए सरकार उनकी व्यापक सहभागिता बढ़ाने के सकारात्मक उपाय करेगी । स्वैच्छिक और गैर-सरकारी एजेंसियों के चयन के लिए कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों के बारे में उनके साथ समय-समय पर परामर्श किया जाएगा । वित्तीय सहायता की कार्यविधियाँ निर्धारित की जाएंगी ताकि वे अधिकतम भूमिका निभा सकें ।

23.4.2 स्वैच्छिक एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों को बुनियादी शैक्षिक विकास कार्यक्रम सौंपने के लिए राज्य सरकारों को विशिष्ट कार्रवाई योजना तैयार करना वांछनीय होगा । उनका उपयोग उनकी कोटि तथा प्रभाव को बढ़ाने वाले चालू कार्यक्रमों को कारगर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है । उन्हें अनुकूल और सहयोगी वातावरण में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए । आशा की जाती है कि स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ विचार विमर्श से निष्पादन स्वरूप जिम्मेवारी की उपयुक्त सूचियाँ तैयार की जाएंगी ।

5. जिम्मेवारी और कुशलता

23.5.1 राज्यों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के शैक्षिक कार्मिकों और संस्थाओं के कार्य-निष्पादन के मानदण्ड अवश्य तैयार किए जाने चाहिए ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसे मानदण्ड तैयार करने में उनकी सहायता करे । प्रतिनिधि दलों के साथ उचित विचार-विमर्श और सुझावों के बाद इन्हें अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए । अन्तिम रूप से तैयार किये गये मानदण्डों का प्रचार किया जाना चाहिए और कार्य-निष्पादन को विधिवत अधिसूचित किया जाना चाहिए । मानदण्डों का पालन न करने वालों को लाभवंचित कर दिया जाना चाहिए जबकि अच्छे निष्पादन के लिए मान्यता, प्रोत्साहन तथा उचित प्रचार मिलना चाहिए ।

23.5.2 जिले में कार्यान्वयन के लिए सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का निरीक्षण राज्य स्तर पर किया जाएगा और अन्तर-जिला तुलना के लिए संबंध सूचक तैयार करने की आवश्यकता होगी । जिलों को उनकी उपलब्धियों से संबद्ध उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान किए जाएं । ब्लाक और पंचायत स्तर की संस्थाओं के लिए भी ऐसे प्रबंध किए जाएं ।

23.5.3 संसाधनों की कमी को देखते हुए सभी स्तरों पर शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन में लागत-प्रभावीकरण को बढ़ाना होगा । शैक्षिक कार्यक्रमों से संबंधित वित्तीय तथा प्रशासनिक मानदण्ड अधिक सावधानी से तैयार और लागू करने की आवश्यकता होगी । मात्र बजट तैयार करने की चिंता को छोड़कर उसके स्थान पर शैक्षिक तथा संस्थागत उपलब्धियों की सावधानीपूर्वक तैयार की गई सूचियों के आधार पर कुशलता के मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । मौजूदा संस्थाओं, वंचित तथा उपेक्षित क्षेत्रों का पता लगाने और मौजूदा संस्थाओं में सुविधाएं बढ़ाने की संभावना के आवाह क्षेत्र पर उचित ध्यान देते हुए संस्थाओं के स्थान-निर्धारण और उनकी स्थापना की विवेकपूर्ण आयोजना की जानी चाहिए । जहां तक संभव हो संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए संस्थाओं के बीच सुविधाओं का बंटवारा होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त पारियों को लागू किया जाना चाहिए । इस संबंध में उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा संबंधी अध्यायों में (अध्याय 11 और 15) कुछ उपायों का उल्लेख किया है

23.5.4 उन सभी कार्यविधियों और प्रक्रियाओं को, जो संस्थाओं के काम काज में रुकावट डालती है और कार्यक्रम कार्यान्वयन को रोकती हैं, समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें सरल बनाया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, स्थानांतरण, आचरण तथा पहचान प्रमाणपत्र और इस प्रकार की अन्य अधिकांश पुरानी पद्धतियाँ शिक्षा के कार्यक्रमों में बाधा ही डालती हैं। शिक्षा में प्रस्तावित सुधारों को सुकर बनाने के लिए शिक्षा और कोडों की सरल नियमावली तैयार की जानी चाहिए। शैक्षिक कार्यकलापों के आधुनिकीकरण से उनकी कुशलता बढ़ेगी।

6. शैक्षिक आयोजना और प्रशासन को सुदृढ़ करना

(क) स्कूल और शैक्षिक काम्प्लेक्स

23.6.1 एक लचीली पद्धति के आधार पर संस्थाओं के एक नेटवर्क के रूप में स्कूल काम्प्लेक्स प्रोन्नत किए जाएंगे ताकि शिक्षकों में व्यावसायिकता बढ़ाने के लिए सहक्रियात्मक संबंध स्थापित किए जा सकें, मानदण्डों तथा आचार का पालन सुनिश्चत किया जा सकें, और अनुभावों तथा सुविधाओं का आदान-प्रदान किया जा सकें। यह स्कूल काम्प्लेक्स क्षेत्र आयोजना की एक निम्नतम व्यवहार्य इकाई के रूप में कार्य करेगा और 8-10 संस्थाओं का एक समूह बनायेगा जिसमें विभिन्न संस्थाएं संसाधनों, कार्मिकों, सामग्री, शिक्षा सहायक सामग्री, आदि का आदान-प्रदान करके एक दूसरे का सहयोग कर सकें और उनका उपयोग सहभागिता आधार पर कर सकें।

23.6.2 आशा है कि समय आने पर जब स्कूल काम्प्लेक्स पूरी तरह विकसित हो जाएंगे तो वे शैक्षिक मानचित्रण, संस्थाओं के श्रेणीकरण, तथा प्रत्येक स्कूल की ताकत व कमजोरी का पता लगाने सहित अनेक निरीक्षण कार्य संभाल लेंगे। इस प्रकार किए गए निरीक्षण से दोष ढूंढने की मौजूदा प्रथा के बजाय सहभागिता की पद्धति पैदा होगी और उससे सुधार होंगे। निरीक्षण जिला/ब्लाक स्तर के निरीक्षक प्राधिकरणों के सामान्य दिन-प्रतिदिन के निरीक्षण कार्यों के अतिरिक्त होंगे।

23.6.3 स्कूल काम्पलेक्सों के कार्यकरण के दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और राज्य सरकारों को परिचालित कर दिए गए हैं। यद्यपि अनेक राज्यों ने स्कूल काम्पलेक्स योजना का प्रयोग किया है तथापि इस कार्यक्रम को अभी तक एक व्यापक व सुव्यवस्थित नियंत्रित कार्यक्रम के रूप में सामने आना है। चूंकि, संस्थागत संसाधन स्थानीय निधि हर स्थान पर अलग-अलग है, अतः स्कूल काम्पलेक्सों के सृजन के लिए कोई एकल मॉडल नहीं हो सकता। प्रत्येक राज्य को अपने अनुभवों अथवा अन्य राज्यों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर स्वयं के कार्यात्मक मॉडल तैयार करने होंगे। राज्य स्कूल काम्पलेक्सों के सृजन तथा कामकाज के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश निर्धारित करें और उनके द्वारा की जाने वाली आयोजना तथा निरीक्षण कार्य के स्वरूप, पद्धति, किस्म को परिभाषित करें। इस पर विचार करते हुए कि काम्पलेक्स के एक भाग के रूप कुछेक स्कूल गैर-सरकारी संस्थाएं होंगी, राज्य सरकारें उनकी सहभागिता को सुकर बनाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें। यह वांछनीय होगा कि स्कूल काम्पलेक्स कार्यक्रम से संबंधित सिफारिशें आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्यवार आधार पर कार्यान्वित की जाएं।

23.6.4 साथ ही यह भी वांछनीय है कि आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रायोगिक आधार पर शैक्षिक काम्पलेक्सों के रूप में जिले में संस्थाओं का एक बहुस्तर नेटवर्क तैयार करने का प्रयास किया जाए। शैक्षिक काम्पलेक्स में, यह नेटवर्क प्राथमिक से लेकर कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तर तक तैयार किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार अगले दो वर्षों में उन स्थितियों में जहां ऐसे काम्पलेक्स शुरू करने के लिए वातावरण अनुकूल है, प्रायोगिक आधार पर इसके आयोजन के वास्ते दिशा-निर्देश तैयार करें। शैक्षिक काम्पलेक्स विकसित करते समय, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षक शिक्षा कालेजों, मा.प्रौ. संस्थानों, पालिटेक्निकों विशेष रूप से समुदाय पालिटेक्निकों जैसी संस्थाओं से भी सहयोग लिया जाए।

(ख) खण्ड स्तर का प्रशासन

23.6.5 यह पता चला है कि लगभग समूचे राष्ट्र में शैक्षिक प्रशासन की खण्ड स्तर की व्यवस्था अत्यंत कमजोर है। प्रायः पर्यवेक्षक स्कूलों के साथ

बहुत कम संपर्क रखते हैं। आंकड़ा तैयार करने, वेतन प्रतिपूर्ति कर्मचारियों की तैनाती व स्थानांतरण जैसे दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में उनका अधिकांश समय लग जाता है। खण्ड स्तर की शिक्षा व्यवस्था के कामकाज में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएं :-

(i) न केवल स्कूलों की संख्या अपितु शिक्षकों की संख्या के आधार पर सुव्यवस्थित अध्ययन करके मानदण्ड तैयार किए जाने चाहिएं ताकि खण्ड स्तर के शिक्षा अधिकारी अपनी प्रशासनिक जिम्मेवारियों तथा पर्यवेक्षणीय कार्यों को कारगर ढंग से निभा सकें।

(ii) खण्ड स्तर के शिक्षा अधिकारियों का अधिकांश समय दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य पर बीच जाता है। उनको विस्तार से निर्धारित किया जाए ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों में उनके सहयोग को उचित महत्व मिल सके।

(ग) जिला शिक्षा प्रशासन

23.6.6. शैक्षिक उद्देश्य से किसी जिले का क्षेत्राधिकार इसके राजस्व क्षेत्राधिकार तक हो सकता है। बड़े जिलों को उप-शैक्षिक जिलों में विभाजित किया जा सकता है परन्तु इनका समन्वय और नियंत्रण संपूर्ण जिले के लिए एक प्रमुख शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वह सभी स्तरों की शिक्षा-प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक गैर-औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा की देखभाल करेगा। प्रमुख शिक्षा अधिकारी को आयोजना व सांख्यिकी शाखा को शैक्षिक प्रबंध सूचना पद्धति के लिए संगणक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

23.6.7 शैक्षिक निरीक्षणों के उद्देश्य से, जिला शिक्षा पर्यवेक्षकों को शैक्षिक पर्यवेक्षण के लिए देखरेख किए जाने वाले स्कूलों की संख्या के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। इन कार्यों को पूरा करने में यह पर्यवेक्षक जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान के साथ अपने कार्यकलापों को समन्वित भी करेंगे।

(घ) राज्य स्तर का प्रशासन

23.6.8 अधिकांश राज्यों में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए अनेक निदेशक और सचिव होते है । अधिकांश मामलों में, मौजूदा पदों को पुनर्गठित करके यह विस्तार किया जा रहा है । राज्य विभिन्न स्तरों पर अपनी शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था के पुनर्गठन पर विचार करें और वर्तमान मानदण्डों के आधार पर, जिन्हें इस उद्देश्य से तैयार किया जा सकता है, इसे सुदृढ़ करें ।

23.6.9 शिक्षा से संबंद्ध विभागों/निदेशालयों की संख्या बढ़ने से, राज्यों को उनके समन्वय के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करना पड़ सकता है । अधिकांश राज्यों में शिक्षा से संबद्ध निदेशालयों और सचिवालय विभागों में संस्थाओं तथा कार्यक्रमों के विस्तार के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है । उसी क्षेत्र में कार्यान्वित अनेक संगठनों को समन्वित करने के लिए उपयुक्त तंत्रों की आवश्यकता काफी महसूस की जाती है । शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास के अन्य क्षेत्रों के बीच उपयुक्त संपर्क के अभाव से शिक्षा सेवाओं और कार्यक्रमों के नियोजन में भी कठिनाई आ रही है । अनेक संभावनाएं मौजूद है । विभिन्न निदेशालयों के कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए पृथक शिक्षा महानिदेशक की एक संभावना हो सकती है । अन्य संभावना सचिवालय में विभिन्न शिक्षा विभागों को समन्वित करने के लिए एक प्रमुख सचिव अथवा अपर प्रमुख सचिव की हो सकती है । शिक्षा से संबद्ध एक से अधिक मंत्री वाले राज्यों के मामले में, एक मंत्रिमंडल समिति गठित करके समन्वित करने की आवश्यकता है जो शैक्षिक कार्यक्रम समन्वित कर सके और उनका निरीक्षण कर सके । मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संपूर्ण समन्वय के लिए भी इस प्रकार के तंत्र की परिकल्पना की जा सकती है । मानव संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकलाप करने के लिए एक अपर प्रमुख सचिव-कृषि उत्पादन आयुक्त की रूपरेखा के अनुसार एक मानव संसाधन विकास आयुक्त को पदनामित करना उपयुक्त प्रतीत होता है ।

23.6.10 मानव संसाधन विकास में समग्र समन्वय प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रबंधों के प्रबास किए जाएं। शिक्षा से संबद्ध एक से अधिक मंत्री वाले राज्यों के मामले में एक मंत्रिमंडल समिति गठित करने की आवश्यकता है जो शैक्षिक कार्य क्रम समन्वित कर सके और उनका निरीक्षण कर सके।

(ङ) राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड

23.6.11 रा. शि. नीति में यह परिकल्पना की गई कि राज्य सरकारें के. शि. स. बोर्ड की रूप रेखा के अनुसार राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करेगी। रा. शि. स. बो. सभी मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को समन्वित करने वाले एक प्रमुख निकाय के रूप में कार्य करेगा। उपलब्ध सूचना के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे बोर्ड अधिकांश राज्यों में स्थापित नहीं किए गए हैं। राज्य स्तर पर शिक्षा नीति और आयोजना के प्रति समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं दिखाया जा सकता है और राज्यों को सलाह दी जाएगी कि वे तरजीहन 1995 से पहले रा. शि. स. बो. स्थापित करें।

23.6.12 एस. ए. बी. ई. का गठन के. शि. स. बोर्ड के समरूप हो सकता है। इसमें सुविख्यात शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के अलावा संस्थागत और संगठनात्मक प्रतिनिधि हो सकते हैं। समाज के कमजोर वर्ग विशेष रूप से महिलाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्प संख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992

[20 अप्रैल, 1993]

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

नए भाग 9 का अंत:स्थापन ।

2. संविधान के भाग 8 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

भाग 9

पंचायतें

परिभाषाएं ।

243. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जिला" से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है ;

(ख) "ग्राम सभा" से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है ;

(ग) "मध्यवर्ती स्तर" से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;

(घ) "पंचायत" से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है ;

(ङ) "पंचायत क्षेत्र" से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(च) "जनसंख्या" से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं ;

(छ) "ग्राम" से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है ।

ग्राम सभा ।

243क. ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

पंचायतों का गठन ।

243ख. (1) प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा ।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है ।

पंचायतों की संरचना ।

243ग. (1) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा :

परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो ।

(2) किसी पंचायत के सभी स्थान, पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो ।

(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,—

(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में ;

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में ;

(ग) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में ;

(घ) राज्य सभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों का, जहां वे,—

(i) मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में ;

(ii) जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में,

प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा ।

(4) किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा ।

(5) (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित की जाए, किया जाएगा ; और

(ख) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा ।

स्थानों का आरक्षण ।

243घ. (1) प्रत्येक पंचायत में—

(क) अनुसूचित जातियों ; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों,

के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे :

परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या

का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है :

परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे :

परंतु यह भी कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आबंटित की जाएगी ।

(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से, निवारित नहीं करेगी ।

पंचायतों की अवधि, आदि ।

243ङ. (1) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती ।

(3) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन,—

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व,

पूरा किया जाएगा :

परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा ।

(4) किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती ।

सदस्यता के लिए निरर्हताएं ।

243च. (1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,—

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है :

परंतु कोई व्यक्ति, इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा ।

पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व ।

243छ. संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना ;

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना ।

पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां ।

243ज. किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,—

(क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को, ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, समनुदिष्ट कर सकेगा ;

(ग) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता-अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा ; और

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का, गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा,

जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन ।

243झ. (1) राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, और तत्पश्चात्, प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, और जो—

(क) (i) राज्य द्वारा उद्गृहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच, जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को ;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी ;

(iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को,

शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में;

(ग) पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में,

राज्यपाल को सिफारिश करेगा ।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना का, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी, और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा, उपबंध कर सकेगा ।

(3) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे ।

(4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा ।

243ञ. किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा ।

पंचायतों के लिए निर्वाचन ।

243ट. (1) पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करे :

परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(3) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(4) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा ।

संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना ।

243ठ. इस भाग के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के

प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधान-मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश, किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसमें विधान सभा है, उसे विधान सभा के प्रति निर्देश हों :

परन्तु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ।

इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना ।

243ङ. (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी ।

(2) इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात् :—

(क) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य ;

(ख) मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं ।

(3) इस भाग की—

(क) कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् विद्यमान है ;

(ख) किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है ।

(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) खण्ड (2) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, इस भाग का विस्तार, खंड (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय, यदि कोई हों, उस राज्य पर उस दशा में कर सकेगा जब उस राज्य की विधान सभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है ;

(ख) संसद् विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार, खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा ।

विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना ।

243च. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा ;

परन्तु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं तो, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी ।

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन ।

243ग. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अनुच्छेद 243ट के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ;

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं ।

अनुच्छेद 280 का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खख) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में ;" ।

ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना ।

4. संविधान की दसवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

ग्यारहवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 243छ)

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि-विस्तार है ।

2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण ।

3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलविभाजक क्षेत्र का विकास

4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट-पालन ।

5. मत्स्य उद्योग ।

6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी ।

7. लघु वन उपज ।

8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है ।

9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग ।

10. ग्रामीण आवासन ।

11. पेय जल ।

12. ईंधन और चारा ।

13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।

14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।

15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत ।

16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ।

17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं;

18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ।

19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा ।

20. पुस्तकालय ।

21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप ।

22. बाजार और मेले ।

23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं।

24. परिवार कल्याण ।

25. महिला और बाल विकास ।

26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है ।

27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण ।

28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।

29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ।"।

शंकर दयाल शर्मा,
राष्ट्रपति ।

के० एल० मोहनपुरिया,
सचिव, भारत सरकार ।

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992

[20 अप्रैल, 1993]

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

नए भाग 9क का अंत:स्थापन ।

2. संविधान के भाग 9 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'भाग 9क

नगरपालिकाएं

परिभाषाएं :

243त. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समिति" से अनुच्छेद 243घ के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ख) "जिला" से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है ;

(ग) "महानगर क्षेत्र" से दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;

(घ) "नगरपालिका क्षेत्र" से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ङ) "नगरपालिका" से अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है ;

(च) "पंचायत" से अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है ;

(छ) "जनसंख्या" से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं ।

नगरपालिकाओं का गठन ।

243थ. (1) प्रत्येक राज्य में, इस भाग के उपबंधों के अनुसार,—

(क) किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;

(ख) किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद् का ; और

(ग) किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का, गठन किया जाएगा :

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिक सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करे ।

(2) इस अनुच्छेद में, "संक्रमणशील क्षेत्र", "लघुतर नगरीय क्षेत्र" या "बृहत्तर नगरीय क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

नगरपालिकाओं की संरचना ।

243द. (1) खंड (2) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे ।

(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,—

(क) नगरपालिका में—

(i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का;

(ii) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है

(iii) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ;

(iv) अनुच्छेद 243ध के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का,

प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा :

परन्तु पैरा (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा ;

(ख) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा ।

वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना ।

243ध. (1) ऐसी नगरपालिका के, जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेंगी ।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,—

(क) वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत ;

(ख) उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे,

उपबंध कर सकेगा ।

(3) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा ।

(4) जहां कोई वार्ड समिति,—

(क) एक वार्ड से मिलकर बनती है वहां नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य; या

(ख) दो या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है वहां नगर-

(5) इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधान-मंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित करती है ।

स्थानों का आरक्षण ।

243न. (1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबन्धित करे ।

(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी ।

नगरपालिकाओं की अवधि, आदि ।

243ओ. (1) प्रत्येक नगरपालिका यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं :

परन्तु किसी नगरपालिका का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी नगरपालिका का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती ।

(3) किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन,—

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व,

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व,

पूरा किया जाएगा ।

नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां।

243भ. किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,—

(क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी नगरपालिका को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी नगरपालिका को, ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, समनुदिष्ट कर सकेगा;

(ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबन्ध कर सकेगा; और

(घ) नगरपालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों की जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबन्ध कर सकेगा,

जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(ङ)

वित्त आयोग।

243म. (1) अनुच्छेद 243झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और जो—

(क) (i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों के राज्य और नगरपालिकाओं के बीच, जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, वितरण की और सभी स्तरों पर नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;

(iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को,

शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में;

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;

(ग) नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में,

राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

(2) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा।

243य. किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।

परन्तु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए विघटित नगरपालिका बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

सदस्यता के लिए निरर्हताएं।

243फ. (1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा—

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है:

परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी नगरपालिका का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।

243ब. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,—

(क) नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व आगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्—

(i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ii) ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना;

(ख) समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्वों को, जिनके अन्तर्गत वे उत्तरदायित्व भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन।

243यक. (1) नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, अनुच्छेद 243ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा।

संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना।

243यख. इस भाग के उपबन्ध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधान-मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश, किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसमें विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रति निर्देश हों :

परन्तु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबन्ध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना।

243यग. (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और इसके खंड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी।

(2) इस भाग की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है।

(3) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, विधि द्वारा, इस भाग के उपबन्धों का विस्तार खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर, ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।

जिला योजना के लिए समिति।

243यघ. (1) प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबंध कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) जिला योजना समितियों की संरचना;

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे :

परन्तु ऐसी समिति की कुल सदस्य संख्या के कम से कम चार बटा पांच सदस्य, जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने में से, जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे ;

(ग) जिला योजना से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं;

(घ) वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे।

(3) प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में,—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात्:—

(i) पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अंतर्गत स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(ii) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा।

महानगर योजना के लिए समिति।

243यङ. (1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबंध कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) महानगर योजना समितियों की संरचना;

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे।

परन्तु ऐसी समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य, महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, अपने में से, उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे;

(ग) ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(घ) महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं;

(ङ) वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे।

(3) प्रत्येक महानगर योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में,—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात् :—

(i) महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं;

(ii) नगरपालिकाओं और पंचायतों के सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है ;

(iii) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और पूर्विकताएं ;

(iv) उन विनिधानों की मात्रा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने संभाव्य हैं तथा अन्य उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधन ।

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(4) प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा ।

विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना ।

243यच. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त नगरपालिकाओं से संबंधित किसी विधि का कोई उपबन्ध, जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत है, जब तक उसे विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा ।

परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी नगरपालिकाएं, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या जहां राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी ।

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन ।

243यछ. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अनुच्छेद 243यक के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ;

(ख) किसी नगरपालिका के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।"।

अनुच्छेद 280 का संशोधन।

3. संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (ग) को उपखंड (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित उपखंड (घ) के पूर्व निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्यपायों के बारे में ;"।

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"बारहवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 243ब)

1. नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है।

2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।

3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना।

4. सड़कें और पुल।

5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय।

6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध।

7. अग्निशमन सेवाएं।

8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि।

9. समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा।

10. गंदी-बस्ती सुधार और प्रोन्नयन।

11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन।

12. नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।

13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।

14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह।

16. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है ।

17. सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अन्तर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाएं भी हैं ।

18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन ।" ।

शंकर दयाल शर्मा,
राष्ट्रपति ।

के० एल० मोहनपुरिया,
सचिव, भारत सरकार ।

NIEPA DC
D07785

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ... D-7785
Date ... 14-10-93